

# अध्याय-1

## राज्य सरकार के वित्त



## अध्याय-1

### राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट-1.1** राज्य सरकार के वित्त लेखे की संरचना और लेआउट के को प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट-1.2(भाग-अ)** राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारणार्थ अपनाई गई कार्य पद्धति की रूपरेखा संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

16 जुलाई 2019 को सचिव, वित्त विभाग के साथ एक प्रवेश गोष्ठी आयोजित की गयी और 10 फरवरी 2020 को एक बहिर्गमन गोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। सरकार की प्रतिक्रियाओं को संबन्धित प्रस्तर में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

#### 1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तराखण्ड, भारत सरकार (भा स) द्वारा राज्यों के संवर्गीकरण पर आधारित विशेष श्रेणी राज्य (वि श्रे रा) है। उत्तराखण्ड को प्राप्त विशेषाधिकारों में भा स द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण का अनुपात होता है जो गैर-विशेष श्रेणी राज्यों से भिन्न है जिन्हें केन्द्रीय सहायता 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होती है।

राज्य में बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हुई तथा वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक की अवधि के लिए इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद<sup>1</sup> (स रा घ उ) तथा प्रति व्यक्ति स रा घ उ में प्रचलित दरों पर मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर), विशेष श्रेणी राज्य के मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) 11.55 प्रतिशत तथा 10.93 प्रतिशत के सापेक्ष, 11.42 प्रतिशत तथा 9.94 प्रतिशत क्रमशः मामूली रूप से कम रही। इसके अलावा, उत्तराखण्ड राज्य का प्रति व्यक्ति स रा घ उ सी ए जी आर (9.94 प्रतिशत) अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति स रा घ उ सी ए जी आर (10.35 प्रतिशत) से काफी नीचे था।

सामाजिक संकेतक यथा साक्षरता और जन्म पर नवजात शिशु मृत्यु दर ने दर्शाया कि राज्य में अखिल भारतीय औसत से बेहतर साक्षरता किन्तु उच्च नवजात शिशु मृत्यु दर है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) जनसंख्या की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत से काफी कम थी **(परिशिष्ट-1)**।

#### सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)

भारत के स रा घ उ तथा राज्य के स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि की प्रचलित दरों एवं स्थिर दरों पर प्रवृत्ति नीचे तालिका-1.1 में प्रदर्शित है:

<sup>1</sup> परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

तालिका-1.1: प्रचलित एवं स्थिर दरों पर स घ उ और स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि दर


वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17*	2017-18*	2018-19*
<b>प्रचलित दर</b>					
भारत का स घ उ (₹ करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
राज्य का स रा घ उ (₹ करोड़ में)	1,61,439	1,77,163	1,95,125	2,22,836	2,45,895
स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	8.29	9.74	10.14	14.20	10.35
<b>स्थिर दर</b>					
भारत का स घ उ (₹ करोड़ में)	1,05,27,674	1,13,69,493	1,22,98,327	1,31,79,857	1,40,77,586
स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	7.41	8.00	8.17	7.17	6.81
राज्य का स रा घ उ (₹ करोड़ में)	1,41,278	1,52,699	1,67,703	1,80,844	1,93,273
स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	5.29	8.08	9.83	7.84	6.87

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, उत्तराखण्ड शासन।

\*अनंतिम \* त्वरित \*अग्रिम प्राक्कलन।

स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रचलित दर) वर्ष 2014-15 में 8.29 प्रतिशत से 2017-18 में 14.20 प्रतिशत तक निरन्तर बढ़ी। तथापि, वृद्धि दर चालू वर्ष में 10.35 प्रतिशत तक गिरी है। स रा घ उ की वृद्धि दर जो कि वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में अखिल भारतीय वृद्धि दर से कम थी, ने वर्ष 2017-18 में सुधार प्रदर्शित किया परंतु पुनः 2018-19 के दौरान नीचे आ गयी। राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का तुलनात्मक विवरण चार्ट-1.1 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट-1.1: राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की तुलना



स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखण्ड 2018-19।


राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005 जो कि तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) की सिफारिश पर 2011 में संशोधित किया गया, चौदहवें वित्त आयोग (चौ वि आ) (परिशिष्ट-1.2 भाग-ब) की सिफारिशों के आधार पर दिसम्बर 2016 में पुनः संशोधित किया गया। चौ वि आ द्वारा संस्तुत लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य का राजकोषीय प्रदर्शन प्रस्तर 1.1.2 में

वर्णित है। 18 फरवरी 2019 को तैयार मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) के माध्यम से राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) के आउटकम इंडिकेटर्स भी **परिशिष्ट-1.2 (भाग-ब)** में दिए गए हैं।

### 1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन- देन का सार

सरकारी वित्त में समान्यतः निम्नलिखित शामिल होते हैं:

चार्ट-1.2: सरकारी लेखे की संरचना



स्रोत: बजट मैनुअल पर आधारित।

तालिका-1.2, गत वर्ष (2017-18) के सापेक्ष चालू वर्ष (2018-19) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सार प्रस्तुत करती है। **परिशिष्ट-1.4 (भाग-अ)** गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष

के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका-1.2: चालू वर्ष के राजकोषीय संचालनों का सार


(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2017-18	2018-19	संवितरण	2017-18	2018-19
<b>भाग-अ: राजस्व</b>					
स्वयं के कर राजस्व	10,164.93	12,188.09	सामान्य सेवाएँ	12,408.50	13,524.87
करेत्तर राजस्व	1,769.53	3,309.88	सामाजिक सेवाएँ	10,929.44	12,209.34
संघीय करों/शुल्कों का अंश	7,084.91	8,011.59	आर्थिक सेवाएँ	4,276.21	5,002.49
भारत सरकार से अनुदान	8,085.20	7,706.88	सहायता अनुदान और अंशदान	1,468.54	1,459.32
राजस्व प्राप्तियाँ	27,104.57	31,216.44	राजस्व व्यय	29,082.69	32,196.02
<b>भाग-ब: पूँजीगत और अन्य</b>					
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	0.01	पूँजीगत परिव्यय	5,914.37	6,184.42
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	33.50	26.91	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	76.83	183.48
लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,526.08	7,275.18	लोक ऋणों का पुनर्भुगतान*	1,720.72	2,057.51
आकस्मिकता निधि से विनियोग	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग	(-) 250.00	--
आकस्मिकता निधि	104.66	216.89	आकस्मिकता निधि	481.50	107.08
लोक लेखा प्राप्तियाँ <sup>#</sup>	37,571.25	41,789.74	लोक लेखा संवितरण <sup>#</sup>	35,366.30	39,947.18
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	2,785.95	2,733.60	अंतिम रोकड़ शेष	2,733.60	2,583.08
<b>योग</b>	<b>75,126.01</b>	<b>83,258.77</b>	<b>योग</b>	<b>75,126.01</b>	<b>83,258.77</b>

\* इसमें अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन शामिल नहीं हैं।

# लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में विभागीय शेष और नगद शेष निवेश खाता सम्मिलित नहीं होता है। प्रतिवेदन में अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के निवल आँकड़े राज्य के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए लिखे गए हैं।

2018-19 के दौरान राज्य की समेकित निधि के संसाधनों एवं निधियों के उपयोग की संरचना चार्ट-1.3 और चार्ट-1.4 में दी गई है:



स्रोत: वित्त लेखे।

पिछले वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त के प्रमुख घटकों (चार्ट-1.3 और चार्ट-1.4) की तुलना संक्षेप में नीचे दी गई है:

तालिका-1.3: विभिन्न घटकों का सुधरना/खराब होना

सकारात्मक संकेतक	मापदंड जिनकी सूक्ष्म निगरानी आवश्यक है
<ul style="list-style-type: none"> <li>करेक्टर राजस्व में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>स्वयं के कर राजस्व में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>पूँजीगत व्यय में पाँच प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>लोक ऋण प्राप्तियों में तीन प्रतिशत की कमी हुई।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऋण और अग्रिम की वसूली में 20 प्रतिशत की कमी हुई।</li> <li>राजस्व व्यय में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> </ul>

स्रोत: वित्त लेखे।

### 1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बजट में प्रावधानित मुख्य राजकोषीय चर और चौ वि आ की संस्तुतियाँ तालिका-1.4 में दी गयी हैं। राज्य सरकार द्वारा चौ वि आ की संस्तुतियों के आधार पर एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन (दिसम्बर 2016) किया गया एवं लक्ष्यों को निर्धारित किया गया।

तालिका-1.4: राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय चर	2018-19						
	चौ वि आ द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	एम टी एफ पी एस में प्रक्षेपण	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशतता भिन्नता		
					चौ वि आ के निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	एम टी एफ पी एस प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	शून्य	32.68	27.24	(-)/979.58	अगणनीय	(-) 3,097.49	(-) 3,696.11
राजकोषीय घाटा/स रा घ उ (प्रतिशत में)	3.25	2.75	2.32	2.98	(-) 8.31	(+) 8.36	(+) 28.45
सरकार के कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात (प्रतिशत में)	22.56	24.29	24.26	23.60	(+) 4.61	(-) 2.84	(-) 2.72

\* राजस्व घाटे के लिए चौ वि आ एवं एफ आर बी एम, अधिनियम द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।


राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 पारित होने के समय से राज्य सरकार राजकोषीय सुदृढीकरण की ओर अग्रसर है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान, राज्य सरकार राजस्व आधिक्य अनुरक्षित करने में सफल रही। 2014-15 के दौरान, राजस्व आधिक्य राजस्व घाटे (₹ 917 करोड़) में बदल गया और वर्ष 2015-16 (₹ 1,852 करोड़) में भी जारी रहा। वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य राजस्व घाटे में तेजी से ₹ 383 करोड़ की कमी करने में सक्षम रहा था, परन्तु वर्ष 2017-18 में समान प्रवृत्ति नहीं बनाए रख सका तथा ₹ 1,978 करोड़ के उच्चतर राजस्व घाटे का अनुभव किया।

तथापि, चालू वर्ष में राजस्व घाटा ₹ 979.58 करोड़ (स रा घ उ का 0.40 प्रतिशत) तक कम हुआ है स रा घ उ का राजकोषीय घाटा स रा घ उ का 2.98 प्रतिशत जो कि चौ वि आ के मापदंड 3.25 प्रतिशत के अन्दर रहा, परन्तु बकाया राजकोषीय दायित्व का स रा घ उ से अनुपात 23.60 प्रतिशत था, जो कि चौ वि आ के मापदंड 22.56 प्रतिशत से अधिक था।

### 1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज विशेष राजकोषीय वर्ष के राजस्व और व्यय के प्रक्षेपों या अनुमानों का विवरण उपलब्ध कराता है। राजस्व और व्यय के प्राक्कलनों की परिशुद्धता की महत्ता राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के सन्दर्भ में सर्वमान्य है। बजट अनुमानों (ब अ) से भिन्नता विविध कारणों से, जिनमें से कुछ सरकार के नियंत्रण में जबकि अन्य जो नियंत्रण से बाहर हैं, वांछित राजकोषीय उद्देश्यों के न पाने और अनुकूलतम स्तर न पाने का संकेतक है। वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न संघटकों के सन्दर्भ में बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविकों को नीचे प्रदर्शित किया गया है:

चार्ट-1.5: वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान एवं वास्तविक



स्रोत: बजट अनुमान एवं वित्त लेखों


उपरोक्त चार्ट-1.5 से यह स्पष्ट है कि :

- मुख्यतः कर राजस्व में ₹2,776 करोड़ (18.55 प्रतिशत) और करेत्तर राजस्व में ₹161 करोड़ (4.64 प्रतिशत) की कमी के कारण समग्र राजस्व प्राप्तियाँ ₹4,444 करोड़ (12.46 प्रतिशत) से कम थी।
- राज्य सरकार वर्ष 2018-19 में राजस्व व्यय सीमित करने में काफी हद तक सफल रही और यह चालू वर्ष के लिए ब अ से ₹ 3,431 करोड़ (9.63 प्रतिशत) कम रहा।
- पूँजीगत व्यय ₹6,184 करोड़ बजटीय अनुमान ₹6,584 करोड़ से ₹400 करोड़ (6.08 प्रतिशत) कम था।
- वर्ष 2018-19 बजट अनुमानों में निर्धारित ₹33 करोड़ के राजस्व आधिक्य के सापेक्ष ₹980 करोड़ के राजस्व घाटे पर समाप्त हुआ।
- वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटे (₹6,710 करोड़) एवं प्राथमिक घाटे (₹1,804 करोड़) का लक्ष्य

राज्य द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि दोनों राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा बजट अनुमानों से क्रमशः ₹610 करोड़ एवं ₹1,041 करोड़ अधिक थे।

यह इंगित करता है कि समस्त मापदण्डों में लक्ष्य की प्राप्ति में कमी रही।

## 1.2 राज्य की प्राप्तियाँ




स्रोत: वित्त लेखे, # इसमें अर्थापय अग्रिम शामिल नहीं हैं।

\*निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ (₹ 1,843 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियाँ (₹ 41,790 करोड़) - लोक लेखा संवितरण (₹ 39,947 करोड़)।


### 1.2.1 राज्य की प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना

राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को गठित करती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय कर एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेशों से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया ऋण) से ऋण की प्राप्तियाँ तथा भा स से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा में उपलब्ध निधियों के वितरण के बाद बची निधियों को सरकार द्वारा अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चार्ट-1.6 वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों

का चित्रण एवं चार्ट-1.7 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना को दर्शाता है।



\*निवल लोक लेखा प्राप्ति = लोक लेखा प्राप्ति - लोक लेखा वितरण।



वर्ष 2018-19 में सरकार की कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों को छोड़कर) वर्ष 2014-15 के ₹26,498 करोड़ से ₹13,863 करोड़ (52 प्रतिशत) बढ़कर, ₹40,361 करोड़ हो गयी। कुल प्राप्ति में से पाँच प्रतिशत (₹1,843 करोड़) निवल लोक लेखे से प्राप्त हुआ जबकि 18 प्रतिशत (₹7,302 करोड़) एवं 77 प्रतिशत (₹31,216 करोड़) क्रमशः पूँजीगत प्राप्तियों एवं राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त हुआ।

गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 15.17 प्रतिशत बढ़ गईं। यह मुख्यतः राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹2,023 करोड़ (19.90 प्रतिशत), संघ के कर/शुल्क में राज्यांश के ₹926 करोड़ (13.07 प्रतिशत) और करेत्तर राजस्व के ₹1,540 करोड़ (87.01 प्रतिशत) की वृद्धि के

कारण हुआ। यह वृद्धि भारत सरकार के अनुदान से प्राप्ति ₹ 378 करोड़ (4.68 प्रतिशत) में कमी के कारण प्रतिभारित हो गया। चालू वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों के संघटकों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ 3.82 प्रतिशत बढ़ी जबकि कुल प्राप्तियों में निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ का अंश पूर्व वर्ष की प्राप्ति से 1.41 प्रतिशत घटा। (तालिका-1.2 का संदर्भ लें)।

### 1.2.2 राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियाँ

विगत वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों<sup>2</sup> को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियाँ अन्तरित की गयीं। तथापि, केंद्रीय प्रायोजित योजना/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता से संबन्धित सभी सहायता क्रियान्वयन अभिकरणों के स्थान पर राज्य सरकार को देने के भारत सरकार के निर्णय के बावजूद वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 701.50 करोड़ (राज्य बजट से बाहर प्रेषित निधि-बिना जाँचे गए आँकड़े) सीधे उत्तराखण्ड राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए जैसा कि तालिका-1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.5: राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियों की महत्वपूर्ण धनराशियाँ

			(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	योजना का नाम	अभिकरण का नाम/अभिकरण का प्रकार	अन्तरित निधियाँ
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सी एस	उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी संस्था	434.40
2.	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग उत्तराखण्ड	66.56
3.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एम पी एल ए डी एस	विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टर	30.00
4.	जे & के, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी राज्य पैकेज (उत्तरी पूर्वी के अलावा)	राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	24.71
5.	विषय वस्तु आधारित टूरिस्ट सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश)	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड	24.58
6.	प्रसाद-तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिकता संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड	22.21
7.	राष्ट्रीय गोकुल अभियान	उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड	22.13
8.	अन्य (99)	विभिन्न अभिकरण	76.91
<b>योग</b>			<b>701.50</b>

स्रोत: वित्त लेखा-परिशिष्ट-VII।

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को अंतरित कुल धनराशि ₹ 1,778.24 करोड़ (केंद्रीय निकाय एवं अन्य संस्थान जो राज्य सरकार के परिधि के बाहर हैं को सम्मिलित करते हुए) में से ₹ 701.50 करोड़ (39 प्रतिशत) की धनराशि राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गयी।


### 1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-14, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता

<sup>2</sup> परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

अनुदान सम्मिलित हैं। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की संरचना और प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट-1.3** में प्रस्तुत किया गया है तथा **चार्ट-1.8** में भी चित्रित किया गया है।

चार्ट-1.8: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



राजस्व प्राप्तियों में 2014-15 से 2018-19 की अवधि में निरंतर वृद्धि देखी गई है। औसतन 12.61 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के साथ यह 2014-15 में ₹ 20,247 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 31,216 करोड़ हो गया, जिसमें राज्य का स्वयं का राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण और सहायता अनुदान क्रमशः ₹ 6,048 करोड़ (64 प्रतिशत), ₹ 4,219 करोड़ (111.26 प्रतिशत) और ₹ 702 करोड़ (10.02 प्रतिशत) उक्त अवधि के दौरान बढ़े। 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 49.65 प्रतिशत राज्य के स्वयं के राजस्व से आया।

2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में लगभग 47.89 प्रतिशत औसतन योगदान राज्य के स्वयं के राजस्व का रहा। सराघउ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि को **तालिका-1.6** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1.6: स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा) (₹ करोड़ में)	20,247	21,234	24,889	27,105	31,216
रा प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.89	4.87	17.21	8.90	15.17
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)	1,61,439	177,163	1,95,125	2,22,836	2,45,895
रा प्रा/स रा घ उ (प्रतिशत)	12.54	11.99	12.76	12.16	12.69
उत्प्लावकता अनुपात <sup>3</sup>					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	2.04	0.50	1.70	0.63	1.47
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	1.61	1.28	1.60	(-) 0.47	1.92

राजस्व प्राप्तियों की 2014-15 के लिए वृद्धि दर 16.89 प्रतिशत से तेजी से गिरकर 2015-16 में 4.87 प्रतिशत हो गयी। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान यह पुनः तेजी से बढ़कर 17.21 प्रतिशत तक

<sup>3</sup> परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ ग्रहण करें।

हो गई, परंतु वर्ष 2017-18 में पुनः घटकर 8.90 प्रतिशत हो गयी। वृद्धि दर चालू वर्ष 2018-19 के दौरान समुचित रूप से बढ़ी है और यह 15.17 प्रतिशत थी।

राजस्व उत्प्लावकता में, जो राजस्व प्राप्तियों तथा स रा घ उ में वृद्धि के प्रत्यक्ष आनुपातिक है, राजस्व प्राप्तियों के वृद्धि अनुपात में उतार-चढ़ाव के कारण 2014-15 से 2018-19 के दौरान उतार-चढ़ाव देखा गया। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 2014-15 में 16.89 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 4.87 प्रतिशत हुई, जिसके कारण यह वर्ष 2014-15 में 2.04 से घटकर 2015-16 में 0.50 हो गयी। वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व उत्प्लावकता में 1.70 तक वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान यह 0.63 तक घटी। तथापि, यह वर्ष 2018-19 के दौरान 1.47 प्रतिशत तक बढ़ी है।

### 1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित होता है, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का निर्धारण इसके अपने स्रोतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें निजी कर एवं करेत्तर स्रोतों से प्राप्त राजस्व समाविष्ट हैं। 2018-19 के दौरान राज्य के अपने संसाधनों के सन्दर्भ में चौ वि आ के अनुमानों, बजट अनुमानों और एम टी एफ पी एस अनुमानों के सापेक्ष वास्तविकों को तालिका-1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.7: राज्य के अपने संसाधन: अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राज्य के अपने संसाधन	चौ वि आ अनुमान	बजट अनुमान	एम टी एफ पी एस अनुमान	वास्तविक	वास्तविक में प्रतिशतता का अन्तर		
					चौ वि आ के अनुमान	बजट अनुमान	एम टी एफ पी एस अनुमान
स्वयं का कर राजस्व	22,282	14,964	14,764	12,188	-45.30	-18.55	-17.45
करेत्तर राजस्व	3,418	3,471	3,747	3,310	-3.16	-4.64	-11.66

जैसा कि तालिका-1.7 में प्रदर्शित है, चौ वि आ, ब अ एवं एम टी एफ पी एस के सापेक्ष राज्य के स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 10,094 करोड़, ₹ 2,776 करोड़ और ₹ 2,576 करोड़ कम रहा।

करेत्तर राजस्व (करे रा), चौ वि आ प्रक्षेपण, ब अ एवं एम टी एफ पी एस के सापेक्ष क्रमशः ₹ 108 करोड़, ₹ 161 करोड़ और ₹ 437 करोड़ कम था।

संक्षेप में राज्य, बजट और एम टी एफ पी एस में अनुमानित अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सका।

### वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) अधिनियम को लागू किया जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार, जी एस टी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार पाँच साल की अवधि तक राज्यों को करेगी। राज्य को देय क्षतिपूर्ति की गणना अंतिम राजस्व आँकड़ों की प्राप्ति के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी, जैसा कि भारत के सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा किया गया हो। राजस्व

आँकड़े हेतु एक आधार वर्ष (2015-16) जी एस टी अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया था। उत्तराखण्ड के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹4,961.22 करोड़ था। किसी राज्य में किसी भी वर्ष के लिए प्रक्षेपित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (प्रति वर्ष 14 प्रतिशत) को लागू करके की जाएगी।

आधार वर्ष के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए प्रक्षेपित राजस्व ₹7,350.26 करोड़ था। वर्ष 2018-19 के जी एस टी के अन्तर्गत राजस्व आँकड़ा प्राप्तियों की प्रकृति के अनुसार वित्त लेखों में दर्शाया गया है, अर्थात् राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), एस जी एस टी और आईजीएसटी के मध्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रॉस उपयोग, आईजीएसटी का विभाजन और आईजीएसटी से अग्रिम विभाजन। ₹7,350.26 करोड़ के प्रक्षेपित राजस्व के विरुद्ध, वर्ष 2018-19 के दौरान जी एस टी के अन्तर्गत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹6,902.54 करोड़ थी, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

तालिका-1.8: अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए राज्य के प्रक्षेपित राजस्व के सापेक्ष संग्रहीत पूर्व-जी एस टी एवं एस जी एस टी, आई जी एस टी के अनंतिम आवंटन एवं भारत सरकार से प्राप्त आई जी एस टी की क्षतिपूर्ति

(₹ करोड़ में)

माह	संरक्षित किए जाने वाला मासिक राजस्व	पूर्व संग्रहीत जी एस टी कर संग्रह	संग्रहीत एस जी एस टी	आई जी एस टी का अनंतिम विभाजन	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति	कमी (-)/ आधिक्य(+)	टिप्पणी	
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7=(1-(5+6))	8	
अप्रैल 2018	612.522	160.12	351.33	-10.39	501.06	00	111.462	संरक्षित राजस्व की तुलना में क्षतिपूर्ति के घटक को ध्यान में रखते हुए राज्य को कम राजस्व प्राप्त हुआ है।	
मई 2018	612.522	175.68	296.99	-5.51	467.16	149.00	-3.638		
जून 2018	612.522	182.86	296.57	17.00	496.43	00	116.092		
जुलाई 2018	612.522	168.59	315.29	3.59	487.47	265.00	-139.948		
अगस्त 2018	612.522	148.94	290.28	310.10	749.32	00	-136.798		
सितम्बर 2018	612.522	141.59	285.89	94.51	521.99	497.00	-406.468		
अक्टूबर 2018	612.522	152.94	336.66	5.88	495.48	00	117.042		
नवम्बर 2018	612.522	156.75	334.83	252.98	744.56	425.00	-557.038		
दिसम्बर 2018	612.522	155.37	286.62	212.74	654.73	00	-42.208		
जनवरी 2019	612.522	176.08	290.11	40.97	507.16	338.00	-232.638		
फरवरी 2019	612.522	163.19	334.57	-48.01	449.75	00	162.772		
मार्च 2019	612.522	-1,718.79 <sup>4</sup>	353.57	155.65	-1,209.57	363.00	1,459.092		
<b>योग</b>	<b>7350.26</b>	<b>63.32</b>	<b>3,772.71</b>	<b>1,029.51</b>	<b>4,865.54</b>	<b>2,037.00</b>	<b>447.724</b>		

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित आँकड़े।

### आई जी एस टी से अग्रिम विभाजन

भारत सरकार, आई जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 17 के अंतर्गत राज्य सरकारों को आई जी एस टी का विभाजन करती है। राज्य कर विभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भा स) द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान अग्रिम विभाजन के ₹806 करोड़ स्वीकृत किए गए। तथापि, भा स द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान दिये गए अग्रिम विभाजन ₹217 करोड़ के सापेक्ष ₹44 करोड़ समायोजित किया गया। अतः, राज्य सरकार को वर्ष 2018-19 के दौरान अग्रिम विभाजन के रूप में ₹762 करोड़ प्राप्त हुए।

<sup>4</sup> प्रतिकूल प्रविष्टि खातों में सुधार के कारण है।

### जी एस टी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

माल और सेवा कर (जी एस टी) के संग्रह के स्वचालन के साथ, लेखों को प्रमाणित करने हेतु सी ए जी के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए नमूना जाँच से पारगमन कर सभी लेन-देन की व्यापक जाँच किया जाना आवश्यक है। डाटा तक आवश्यक पहुँच प्रदान की जानी बाकी है। सभी जी एस टी लेन-देन से संबंधित डाटा तक पहुँच न होना, जी एस टी प्राप्तियों का व्यापक रूप से लेखापरीक्षा किए जाने के रास्ते में बाधक है। इसलिए, वर्ष 2018-19 के लेखों को एक बार अपवाद के रूप में नमूना जाँच के आधार पर प्रमाणीकृत उसी प्रकार किया गया जैसा कि अभिलेखों को मैनुअल रूप से संरक्षण के समय किया जाता था।

#### 1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के सन्दर्भ में सकल संग्रहण तालिका-1.9 में दिया गया है।

तालिका-1.9: राज्य के स्वयं के संसाधनों के घटक


(₹ करोड़ में)					
राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं एस जी एस टी*	5,465 (11)	6,105 (12)	7,154 (17)	5,675 (-21)	6,685 (18)
राज्य आबकारी	1,487 (17)	1,735 (17)	1,906 (10)	2,262 (19)	2,871 (27)
वाहनों पर कर	394 (7)	471 (20)	556 (18)	816 (47)	909 (11)
स्टॉप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	714 (4)	871 (22)	778 (-11)	882 (13)	1,015 (15)
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	--	--
अन्य कर	279 (118)	195 (-30)	503 (158)	530 (5)	708 (34)
<b>योग</b>	<b>8,339 (13)</b>	<b>9,377 (12)</b>	<b>10,897 (16)</b>	<b>10,165 (-7)</b>	<b>12,188 (20)</b>

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की तुलना में बढ़त/घटत की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

एस जी एस टी के आँकड़े 2017-18 और 2018-19 में सम्मिलित किए गए हैं।

राज्य का स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2017-18 में ₹ 10,165 करोड़ से 20 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹ 12,188 करोड़ हो गया। बिक्री, व्यापार, आदि पर करों से राजस्व जिसमें कर राजस्व (54.85 प्रतिशत चालू वर्ष के दौरान) का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, ने पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान 21 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। चालू वर्ष के दौरान, कर, बिक्री, व्यापार आदि के अन्तर्गत कुल संग्रह 18 प्रतिशत बढ़ कर ₹ 5,675 करोड़ से ₹ 6,685 करोड़ हो गया।


चार्ट-1.9: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के साथ उत्तराखण्ड के स्वयं के कर राजस्व से स रा घ उ की तुलना



उत्तराखण्ड का स्वयं का कर एवं सरा घ उ अनुपात हिमाचल प्रदेश, पड़ोसी पर्वतीय राज्य के अनुपात से कम है। यह अनुपात हरियाणा और पंजाब राज्यों से भी कम होता है।

### 1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व और उसके घटकों की प्रवृत्ति चार्ट-1.10 में दी गई है।



चालू वर्ष के दौरान करेत्तर राजस्व में ₹ 1,540 करोड़ (87.05 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो मुख्यतः वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त पेंशन विभाजन से संबन्धित ₹ 1,656.75 करोड़ के कारण हुई। चालू वर्ष के दौरान वन्य एवं वन्य जीव (₹ 56.54 करोड़; 18.11 प्रतिशत) एवं अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग (₹ 41.05 करोड़; 9.33 प्रतिशत) के कारण भी वृद्धि दर्ज की गई। तदपि, यह वृद्धि ऊर्जा (₹ 99.54 करोड़; 34.78 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 27.37 करोड़; 25.14 प्रतिशत), अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (₹ 55.63 करोड़; 38.75 प्रतिशत) में कमी से कुछ सीमा तक प्रतिभारित हुई।

### 1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भा स से 2014-15 से 2018-19 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान तालिका-1.10 में प्रदर्शित है।

तालिका-1.10: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आयोजनेत्तर अनुदान	944	1,043	824	714	-
राज्य योजना के लिए अनुदान	4,083	1,173	1,532	1,621	-
केन्द्रीय योजना के लिए अनुदान	99	609	843	76	-
केन्द्रीय सहायतित आयोजना योजना के लिए अनुदान	1,879	2,479	3,035	4,391	-
केन्द्रीय सहायतित योजना के लिए अनुदान	-	-	-	-	4,966
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	-	485
अन्य स्थानांतरण/राज्यों को अनुदान	--	--	--	1,283	2,256
<b>योग</b>	<b>7,005</b>	<b>5,304</b>	<b>6,234</b>	<b>8,085</b>	<b>7,707</b>
गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशतता वृद्धि/कमी	38	(-) 24	18	30	(-) 5
राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता	35	25	25	30	25

भा स से सहायता अनुदान 2014-15 में ₹ 7,005 करोड़ से घटकर 2015-16 में ₹ 5,304 करोड़ (24 प्रतिशत) हो गया, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान यह ₹ 930 करोड़ (18 प्रतिशत) से बढ़ गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में, भा स से अनुदान प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ ₹ 1,851 करोड़ (30 प्रतिशत) बढ़ी। तथापि, वर्ष 2018-19 के दौरान अनुदान ₹ 378 करोड़ (पाँच प्रतिशत) घट गया।

### 1.3.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

चौ वि आ ने सिफारिश की थी कि केन्द्रीय करों में राज्यांश 2015-16 से 42 प्रतिशत कर दी जाए। फलस्वरूप, केन्द्रीय करों (सेवा कर को छोड़कर) की शुद्ध निवल आय में राज्यांश 1.05 प्रतिशत पर तय किया गया है।

तालिका-1.11: केन्द्रीय कर के राज्यांशों के विभिन्न घटकों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

संघ कर में राज्य के हिस्से का घटक	चौ वि आ की अवधि			2017-18 की तुलना में 2018-19 में वृद्धि/कमी	
	2016-17	2017-18	2018-19	राशि	प्रतिशत में
निगम कर	2,056.02	2,169.91	2,786.13	616.22	28.40
सीमा शुल्क	884.42	715.10	567.89	-147.21	(-) 20.59
आयकर	1,428.94	1,832.34	2,051.86	219.52	11.98
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	0.02	0	4.14	4.14	--
सेवा कर	1,027.52	804.25	73.45	-730.80	(-) 90.87
संपत्ति कर	4.71	- 0.07	1.02	1.09	1557.14
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1,009.94	747.50	377.39	-370.11	(-) 49.51
आय और व्यय पर अन्य कर	00	00	14.51	14.51	--
सी जी एस टी	लागू नहीं	100.52	1,977.40	1,876.88	1867.17
आई जी एस टी	लागू नहीं	715.36	157.80	-557.56	(-) 77.94
<b>कुल योग</b>	<b>6,411.57</b>	<b>7,084.91</b>	<b>8,011.59</b>	<b>926.68</b>	<b>13.08</b>
राज्य के राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में हस्तांतरण	25.76	26.14	25.67		
लागू नहीं: 1 जुलाई 2017 से जी एस टी अधिनियम के लागू होने के कारण लागू नहीं है। स्रोत: वित्त लेख।					

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशतता का हस्तांतरण, गत वर्ष की तुलना में 2017-18 में बढ़ा था, वर्ष 2018-19 के दौरान यह घट गया। तथापि, हस्तांतरण 13.08 प्रतिशत गत वर्ष की तुलना में बढ़ गया है।

### 1.3.4 चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का सदुपयोग

चौ वि आ ने दिसम्बर 2014 में 1 अप्रैल 2015 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि को समाविष्ट करते हुए अपनी आख्या प्रस्तुत की। भारत सरकार ने चौ वि आ की सिफारिशों पर राज्य सरकार को ₹ 3,856.52 करोड़ का अनुदान स्थानीय निकायों तथा आपदा राहत निधि को 2015-16 से 2019-20

के दौरान उपभोग करने के लिए आवंटित किया। भारत सरकार द्वारा 2018-19 के दौरान अवमुक्त एवं राज्य सरकार द्वारा आगे हस्तांतरण की स्थिति तालिका-1.12 में दर्शायी गयी है।

तालिका-1.12: अनुदान का संस्तुत हस्तांतरण एवं वास्तविक अवमुक्ति

(₹ करोड़ में)

हस्तांतरण	चौ वि आ की संस्तुति 2015-16 से 2019-20	चौ वि आ की संस्तुति 2018-19	2018-19 के दौरान भा स से वास्तविक अवमुक्त	2018-19 के दौरान राज्य द्वारा किया गया हस्तांतरण
<b>1.स्थानीय निकाय</b>				
(अ) पं रा सं के अनुदान	1,882.69	438.32	376.19	376.19
(i) सामान्य अनुदान	1,694.42	376.19	376.19	376.19
(ii) निष्पादन अनुदान	188.27	62.13	00	00
(ब) न स्था नि के अनुदान	815.83	198.74	108.68	108.68
(i) सामान्य अनुदान	652.66	144.90	108.68	108.68
(ii) निष्पादन अनुदान	163.17	53.84	00	00
<b>योग (1)</b>	<b>2,698.52</b>	<b>637.06</b>	<b>484.87</b>	<b>484.87</b>
2.आपदा राहत निधि	1,158.00	243.00	243.00*	141.06
<b>महायोग</b>	<b>3,856.52</b>	<b>880.06</b>	<b>727.87</b>	<b>625.93</b>

स्रोत: चौ वि आ आख्या एवं वित्त लेखे।

(₹ 219 करोड़ के केंद्रान्श के साथ ₹ 24 करोड़ का राज्यांश भी जारी किया गया)।

चौ वि आ द्वारा स्वीकृत अनुदान में से दो भाग-सामान्य अनुदान एवं निष्पादन अनुदान यथावत पंचायती राज संस्थाओं (पं रा सं) एवं नगर स्थानीय निकायों (न स्था नि) को स्वीकृत किए गए। 2018-19 के दौरान, राज्य को न स्था नि के लिए भा स से सामान्य अनुदान का अपना पूर्ण अंश नहीं प्राप्त हुआ और न स्था नि के साथ ही पं रा सं के लिए निष्पादन अनुदान का अंश भी प्राप्त नहीं हुआ। राज्य के विभाग द्वारा पं रा सं एवं न स्था नि द्वारा अनुदान के वास्तविक उपयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया।

#### 1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ या तो गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे सरकारी कम्पनियों/कॉरपोरेशनों में इक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियाँ और ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ अथवा ऋण पूँजी प्राप्तियाँ हैं, जो कि समेकित निधि के लोक ऋण भाग में क्रेडिट की जाती हैं। लोक ऋण प्राप्तियाँ विस्तृत रूप में दो श्रेणियों; (अ) संघ सरकार से ऋण/अग्रिम (ब) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से नेगोसियेटेड ऋण या राज्य विकास ऋण निर्गमों के माध्यम से खुले बाजार की उधारियाँ, में विभाजित हैं। संघ सरकार से ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं ऋणों/अग्रिमों का हिस्सा नगण्य है और पूँजीगत प्राप्तियाँ मुख्यतः बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं खुले बाजार से उधारियाँ शामिल हैं जैसा कि तालिका-1.13 में वर्णित है।

तालिका-1.13: प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

		(₹ करोड़ में)				
राज्य की प्राप्तियों का स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ प्रा)	4,754	6,825	6,536	7,560	7,302	
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	135	--	--	--	--	
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	46	27	35	34	27	
लोक ऋण प्राप्तियाँ	बाजार ऋण	2,400	3,900	5,450	6,660	6,300
	अन्य आंतरिक संसाधन	2,112	2,801	905	752	870
	भारत सरकार से	61	97	146	114	105
	कुल	4,573 (96.19)	6,798 (99.60)	6,501 (99.46)	7,526 (99.55)	7,275 (99.63)

कोष्ठकों में आँकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

पूँजीगत प्राप्तियाँ, राज्य की ऋण एवं गैर ऋण प्राप्तियों<sup>5</sup> से मिलकर बनी होती है जिसकी औसत वृद्धि दर 2014-15 से 2018-19 तक 13.46 प्रतिशत थी। ऋण प्राप्तियों का पूँजीगत प्राप्तियों में प्रमुख भाग है तथा 2014-15 से 2018-19 के दौरान यह 96.19 से 99.63 प्रतिशत के बीच थी।

#### 1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ वर्ष 2014-15 में ₹ 46 करोड़ से 2015-16 में ₹ 27 करोड़ तक घटी। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान वसूलियों में (₹ आठ करोड़) बढ़त देखने को मिली परंतु वर्ष 2017-18 के दौरान इसमें मामूली गिरावट (₹ एक करोड़) आयी। गिरावट की प्रवृत्ति 2018-19 में भी जारी रही क्योंकि इसमें गत वर्ष की तुलना में ₹ सात करोड़ की गिरावट आयी।

#### 1.4.2 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

2014-15 से 2018-19 की अवधि में आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संसाधनों से ऋण इत्यादि, सरकार की प्राप्तियों के लगातार मुख्य स्रोत बने रहे। ये 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹ 2,658 करोड़ (58.91 प्रतिशत) बढ़ गया। तथापि, चालू वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में ₹ 251 करोड़ (3.34 प्रतिशत) कम हुईं। बाजार उधारियों में प्रवृत्ति का विवरण प्रस्तर 1.10.1 में है।

#### 1.4.3 भारत सरकार से ऋण व अग्रिम

उत्तराखण्ड राज्य विशेष श्रेणी राज्य होने के कारण भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं ऋण 90:10 के अनुपात में प्राप्त करता है। भा स से ऋण (₹ 789.91 करोड़) के सन्दर्भ में राज्य सरकार के बकाया दायित्व, कुल लोक ऋण (₹ 46,232.62 करोड़) का केवल 1.71 प्रतिशत है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम की प्राप्तियाँ ₹ 61 करोड़ से बढ़कर ₹ 105 करोड़ हो गईं। चालू वर्ष के दौरान, यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹ नौ करोड़ (7.89 प्रतिशत) घटी है।

<sup>5</sup> परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ ग्रहण करें।

## 1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

प्राप्तियाँ एवं वितरण के कतिपय लेन-देनों के सन्दर्भ में यथा लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचन्तों, प्रेषणों इत्यादि जो कि संचित निधि का भाग नहीं होते हैं, को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है एवं ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं हैं। यहाँ सरकार लोक धन के लिए बैंकर/ट्रस्टी की तरह कार्य करती है। सरकार के पास वितरण के बाद अवशेष निधि उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है। तालिका-1.14 लोक लेखा के विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ तथा वितरणों की प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका-1.14: वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं वितरणों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियाँ के स्रोत	लोक लेखा प्राप्ति		लोक लेखा से संवितरण		संवितरण से अधिक प्राप्तियाँ (निवल लोक लेखा प्राप्ति)	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
लघुबचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,840.79	2,189.60	1,221.32	1,299.74	619.47	889.86
आरक्षित निधियाँ	232.34	243.00	127.26	131.46	105.08	111.54
जमा एवं अग्रिम	4,727.47	4,502.04	4,008.79	4,513.09	718.68	(-) 11.05
उचन्त एवं विविध <sup>6</sup>	31,936.91	35,287.11	31,206.55	35,114.04	730.36	173.07
प्रेषण	(-) 1,166.25	(-) 432.01	(-) 1,197.62	(-) 1,111.15	31.37	679.14
<b>योग</b>	<b>37,571.26</b>	<b>41,789.74</b>	<b>35,366.30</b>	<b>39,947.18</b>	<b>2,204.96</b>	<b>1,842.56</b>

निवल लोक लेखे प्राप्तियाँ में कमी प्रथमतः जमा और अग्रिमों के अंतर्गत निवल संग्रहण में कमी के कारण हुई जो कि आंशिक रूप से प्रेषण एवं लघु बचत, भविष्य निधि आदि के निवल संग्रहण में हुई वृद्धि से प्रतिभारित हुई।

## 1.6 संसाधनों का उपयोग


राजकोषीय दायित्व विधायन ढाँचे के अन्तर्गत राज्य सरकार को व्यय करने का दायित्व प्रदान किया जाता है जबकि इसी समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढीकरण प्रक्रिया विशेषकर विकासपरक और सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो। राज्य में व्यय के आवंटन के विश्लेषण पर चर्चा नीचे की गई है।

### 1.6.1 व्यय की संरचना एवं वृद्धि

चार्ट-1.11, पाँच वर्षों (2014-15 से 2018-19) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाता है तथा इनकी संरचनाओं को 'क्रियाकलापबद्ध व्यय' के सन्दर्भ में चार्ट-1.11 में चित्रित किया गया है।

<sup>6</sup> विभागीय अवशेष, स्थायी नगद अग्रदाय के अंतर्गत अवशेष तथा नगद शेष निवेश लेखा सम्मिलित नहीं होते हैं।


चार्ट-1.11: पिछले पाँच वर्षों के दौरान व्यय की संरचना



राज्य का कुल व्यय (कु व्य) वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 14.11 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत दर से बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान कुल व्यय में ₹3,489 करोड़ (9.95 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। यह मोटे तौर पर राजस्व व्यय (राव्य) में ₹3,113 करोड़, पूँजीगत व्यय (पूँव्य) में ₹270 करोड़ की वृद्धि, और ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में ₹106 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई है।

**राजस्व व्यय (राव्य):** वर्ष 2018-19 में राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में ₹3,113 करोड़ अधिक रहा था और कुल व्यय (₹38,563 करोड़) का 83.49 प्रतिशत लेखांकित किया गया है जो कि वर्ष 2017-18 के सुसंगत आँकड़े 82.92 प्रतिशत के सापेक्ष अधिक था। राजस्व व्यय में चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष की तुलना में (i) सामाजिक सेवाएँ (₹1,280 करोड़) मुख्यतः शिक्षा क्षेत्र (₹829 करोड़) एवं स्वास्थ्य क्षेत्र (₹353 करोड़) में वृद्धि के कारण (ii) सामान्य सेवाएँ (₹1,116 करोड़) जिसमें क्रमशः ब्याज भुगतान एवं पेंशन में हुई ₹488 करोड़ एवं ₹363 करोड़ की वृद्धि शामिल थी (iii) आर्थिक सेवाएँ (₹726 करोड़) जो कि अनुदान एवं अंशदान (₹नौ करोड़) के मामूली कमी से प्रतिभारित हुईं, के कारण वृद्धि हुई।

**पूँजीगत व्यय (पूँ व्य):** कुल पूँ व्य 2014-15 में ₹4,939 करोड़ से कम होकर 2015-16 में ₹4,217 करोड़, लेकिन पुनः क्रमशः 2016-17 में ₹4,954 करोड़ और 2017-18 में ₹5,914 करोड़ तक बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में भी वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी थी और यह वृद्धि ₹270 करोड़ (4.57 प्रतिशत) हुई। तथापि, पूँजीगत व्यय का प्रतिशत कुल व्यय के प्रतिशत से 2014-15 में 18.81 प्रतिशत से कम होकर 2018-19 में 16.04 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य द्वारा किए गए पूँजीगत व्यय एम टी एफ पी एस लक्ष्य से ₹848 करोड़ अधिक है लेकिन बजट प्रावधान के सापेक्ष ₹400 करोड़ कम था।



कुल व्यय में व्यय के इन घटकों के संबंधित अंश ने 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शायी। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय का औसतन अंश 82.90 प्रतिशत था, जबकि 2014-15 में पूँजीगत व्यय का अंश 18.81 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 16.04 प्रतिशत हो गया। कुल खर्च में ऋण और अग्रिम का अंश भी 2014-15 में 0.58 प्रतिशत से मामूली घटकर 2018-19 में 0.47 प्रतिशत हो गया।

### 1.6.2 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन और पारिश्रमिक पर व्यय, पेंशन और उपदान शामिल होते हैं। तालिका-1.15 एवं चार्ट-1.13 वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती हैं।


तालिका-1.15: वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		
					ब अ	वास्तविक	ब अ के सापेक्ष वास्तविक में भिन्नता की प्रतिशतता
वेतन एवं पारिश्रमिक	7,309 (36.10)	7,848 (36.96)	8,670 (34.83)	10,496 (38.72)	13,765	11,525 (36.92)	-16.27
ब्याज भुगतान	2,406 (11.88)	2,971 (13.99)	3,723 (14.96)	3,987 (14.71)	4,906	4,475 (14.34)	-8.79
पेंशन पर व्यय	2,452 (12.11)	2,628 (12.38)	3,170 (12.74)	5,033 (18.57)	5,353	5,396 (17.29)	0.80
उपदान	209 (1.03)	211 (0.99)	208 (0.84)	186 (0.69)	269	174 (0.56)	-35.32
कुल वचनबद्ध व्यय	12,376 (61.13)	13,658 (64.32)	15,771 (63.37)	19,702 (72.69)	24,293	21,570 (69.10)	-11.21
अन्य घटक	8,788 (43.40)	9,428 (44.40)	9,501 (38.17)	9,381 (34.61)	11,334	10,626 (34.04)	-6.25
<b>कुल राजस्व व्यय</b>	<b>21,164</b>	<b>23,086</b>	<b>25,272</b>	<b>29,083</b>	<b>35,627</b>	<b>32,196</b>	<b>-9.63</b>
<b>राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>20,247</b>	<b>21,234</b>	<b>24,889</b>	<b>27,105</b>	<b>35,660</b>	<b>31,216</b>	<b>-12.46</b>

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत को इंगित करते हैं।

चार्ट-1.13: राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय



वर्ष 2014-15 में वचनबद्ध व्यय जो राजस्व प्राप्तियों का 61.13 प्रतिशत था जो कि 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 7.97 प्रतिशतता बिन्दु से बढ़ गया तथा चालू वर्ष के दौरान यह राजस्व प्राप्तियों का 69.10 प्रतिशत था।

2014-15 से 2018-19 की अवधि में इसमें ₹ 9,194 करोड़ की वृद्धि हुई। वचनबद्ध व्यय का स्तर अधिक होने के कारण सरकार द्वारा विकास गतिविधियों पर व्यय करने के लिए बहुत कम गुंजाइश है।

### वेतन एवं पारिश्रमिक

चालू वर्ष के दौरान वेतन पर व्यय (₹ 11,525 करोड़), राज्य (₹ 32,196 करोड़) का 35.80 प्रतिशत लेखाबद्ध था। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान वेतन पर व्यय में औसत 12.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान वेतन पर वास्तविक व्यय, चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट लक्ष्य (₹ 13,765 करोड़) से काफी नीचे था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के अधिअनुमानित ब अ (16 प्रतिशत) को राजकोषीय सुधारपथ में पूर्णतया सही नहीं किया गया तथा एम टी एफ पी एस (₹ 12,752 करोड़) में अनुमानित प्रक्षेपण भी 2018-19 के वास्तविक आँकड़ों की तुलना में अधिअनुमानित (10 प्रतिशत) था।

### पेंशन भुगतान

वर्ष 2018-19 में पेंशन पर व्यय ₹ 5,396 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 17.29 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान, यह विगत वर्ष 2017-18 की अपेक्षा 7.21 प्रतिशत बढ़ा और चौ वि आ द्वारा, चालू वर्ष के लिए ₹ 3,550 करोड़ के मानकीय निर्धारण से 52 प्रतिशत अधिक था (चौ वि आ के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.5)।

## राष्ट्रीय पेंशन योजना

राज्य सरकार ने भविष्य में बढ़ते पेंशन दायित्व से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए 1 अक्टूबर 2005 या उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना भी लागू की है।

31 मार्च 2019 तक, नई पेंशन योजना (एन पी एस) के अंतर्गत कुल कर्मचारियों के ₹ 382.74 करोड़ के योगदान के सापेक्ष, राज्य सरकार ने केवल ₹ 371.92 करोड़ का योगदान दिया। इस प्रकार, राज्य सरकार ने अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया क्योंकि यह एन पी एस के अंतर्गत सरकार के मैचिंग शेयर के रूप में ₹ 10.82 करोड़ का योगदान करने में विफल रहा। इसके अलावा, 31 मार्च 2019 तक एन पी एस के अंतर्गत ₹ 905.50 करोड़ के कुल संग्रह में से, राज्य सरकार ने एन पी एस के प्रावधान के अनुसार आगे के निवेश के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) को केवल ₹ 746.12 करोड़ हस्तांतरित किए हैं; जिससे, ₹ 159.38 करोड़ का अवशेष छोड़ दिया। इस प्रकार, एन एस डी एल को ₹ 170.20 करोड़ (₹ 10.82 करोड़ का कम अंशदान + ₹ 159.38 करोड़ को हस्तांतरित नहीं किया) का कम अंतरण किया गया और वर्तमान दायित्व आगे के वर्षों के लिए स्थगित कर दी गई। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा एन एस डी एल को हस्तांतरित नहीं की गई राशि पर ब्याज दायित्व का भी सृजन किया गया; अपने कर्मचारियों से संबंधित धन का गलत तरीके से उपयोग किया और सरकार द्वारा भविष्य में कर्मचारियों की प्रभावित/परिहार्य वित्तीय दायित्व में दिए जाने वाले लाभ के संबंध में अनिश्चितता पैदा की, और इस प्रकार, योजना स्वयं ही संभावित विफलता की ओर अग्रसर हो गयी।

## ब्याज भुगतान

जैसा कि तालिका-1.15 में दर्शित है, 2014-15 से 2018-19 के दौरान, ब्याज भुगतान मुख्यतः पुराने ऋणों के कारण 85.99 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2018-19 के दौरान ब्याज भुगतानों में आन्तरिक ऋणों<sup>7</sup> (₹ 3,767 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 578 करोड़), अन्य दायित्वों (₹ 67 करोड़) और भारत सरकार से लिए हुए ऋणों एवं अग्रिमों (₹ 63 करोड़) पर ब्याज शामिल थे। चौ वि आ द्वारा निर्धारित 11.66 प्रतिशत के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 4,475 करोड़) राजस्व प्राप्तियों का 14.34 प्रतिशत था। तथापि, यह राज्य सरकार के बजट एवं एम टी एफ पी एस द्वारा निर्धारित लक्ष्य ₹ 4,906 करोड़ एवं ₹ 4,905 करोड़ से क्रमशः ₹ 431 करोड़ एवं ₹ 430 करोड़ कम था।

## उपदान

उपदान न केवल स्पष्ट रूप से अपितु अनुमानित उपदानित लोक सेवा प्रदान करते हुये लोगों को बाँटा जाता है। अनुमानित उपदानों में वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहयोग, निवेशों पर अपर्याप्त प्राप्ति और सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ प्रदान करने पर उपभोगित कीमत की कम वसूली भी आती हैं।

<sup>7</sup> परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

वित्तीय लेखा, खण्ड-II के परिशिष्ट-II के अनुसार, सरकार द्वारा सीधे तौर पर दिये गये उपदान ₹ 208.71 करोड़ (2014-15), ₹ 211.38 करोड़ (2015-16), ₹ 207.99 करोड़ (2016-17), ₹ 185.93 करोड़ (2017-18) एवं ₹ 173.51 करोड़ (2018-19) थे। कुल राजस्व प्राप्तियों में उपदान का अंश 2014-15 में 1.03 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 0.56 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान दी गयी उपदान की राशि में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 12 करोड़ (6.45 प्रतिशत) की कमी देखी गई। 2015-16 से 2018-19 की अवधि में उपदान राशि का मुख्य प्राप्तकर्ता खाद्य भंडारण और भंडारण था।

### 1.6.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान द्वारा प्रदत्त सहायता की राशि तालिका-1.16 में प्रस्तुत है।

तालिका-1.16: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

क्र सं	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
						ब अ	वास्तविक
1.	शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	714.27	615.73	650.63	464.93	609.01	544.70
2.	नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ	380.17	334.11	397.77	753.33	1,016.91	717.07
3.	जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	301.10	432.46	508.40	715.21	831.72	742.25
4.	विकास अभिकरण	891.07	828.94	953.33	546.93	674.83	555.82
5.	चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	335.89	338.94	319.17	252.98	584.17	436.19
6.	ऊर्जा (ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत)	5.11	18.63	18.12	11.78	13.69	11.69
7.	कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान, भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण	245.18	270.21	337.78	476.94	676.96	593.57
8.	सहकारिता	4.64	4.12	5.07	3.73	3.49	2.67
9.	पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य पालन	28.58	27.09	32.00	38.77	51.04	41.80
10.	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ एवं पर्यटन	68.80	1.52	30.69	46.92	66.51	51.12
11.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	412.94	514.86	446.96	232.65	314.31	216.54
12.	अन्य संस्थाएँ	127.67	209.16	150.30	119.64	701.30	552.36
<b>योग</b>		<b>3,515.42</b>	<b>3,595.77</b>	<b>3,850.22</b>	<b>3,663.81</b>	<b>5,543.94</b>	<b>4,465.78</b>
<b>रा व्य की प्रतिशतता के रूप में सहायता</b>		<b>16.61</b>	<b>15.58</b>	<b>15.23</b>	<b>12.60</b>	<b>15.56</b>	<b>13.87</b>

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड के वी एल सी ऑफ़िस।

निकायों और अन्य संस्थानों की सहायता 2014-15 में ₹ 3,515.42 करोड़ से ₹ 950.36 करोड़ (27.03 प्रतिशत) बढ़कर 2018-19 में ₹ 4,465.78 करोड़ हो गयी। चालू वर्ष के दौरान सहायता में

पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 801.97 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ और जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं ने मिलकर कुल वित्तीय सहायता का 32.68 प्रतिशत हिस्सा लिया।

चालू वर्ष के दौरान सहायता में वृद्धि, मुख्यतः अन्य संस्थाओं से (₹ 432.72 करोड़), हॉस्पिटल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ (₹ 183.21 करोड़), कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान, भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण (₹ 116.63 करोड़), शैक्षिक संस्थाओं (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि) (₹ 79.77 करोड़) एवं जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएँ (₹ 27.04 करोड़)। तथापि, नगर निगम और नगर पालिकाओं (₹ 36.26 करोड़) एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 16.11 करोड़) के संबंध में अवमुक्त अनुदानों में गिरावट हुई।

## 1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अच्छी सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतया उसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन पहलुओं को समाहित करता है यथा, व्यय की पर्याप्तता (जैसे लोक सेवार्थे उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान), किये गये व्यय की दक्षता और प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण)।

### 1.7.1 लोकव्यय की पर्याप्तता

मानव विकास स्तरों की वृद्धि हेतु आवश्यक है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि पर अपने व्यय को बढ़ाएँ।

तालिका-1.17 एवं चार्ट-1.14 वर्ष 2014-15, 2017-18 और 2018-19 में विशेष श्रेणी राज्यों (वि श्रे रा) में विकासपरक व्यय (वि व्य), सामाजिक क्षेत्र व्यय (सा क्षे व्य) और पूँजीगत व्यय (पूँ व्य), शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता<sup>8</sup> को विश्लेषित करती है।

तालिका-1.17: 2014-15, 2017-18 और 2018-19 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता


(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स व्य/ स रा घ उ	वि व्य <sup>#</sup> /स व्य	सा क्षे व्य /स व्य	आ क्षे व्य /स व्य	पूँ व्य /स व्य	शिक्षा/ स व्य	स्वास्थ्य /स व्य
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15	26.00	66.76	36.27	30.49	14.46	18.52	5.60
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2014-15	16.26	68.39	39.82	28.57	18.81	19.60	5.73
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2017-18	25.86	64.17	34.99	29.18	15.73	18.04	6.22
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2017-18	15.74	58.14	34.26	23.88	16.86	19.01	4.62
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2018-19	26.73	64.82	35.75	29.08	15.69	18.21	6.48
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2018-19	15.68	59.97	34.49	25.47	16.04	19.29	5.44

स व्य: सकल व्यय, वि व्य: विकासपरक व्यय, सा क्षे व्य: सामाजिक क्षेत्र में व्यय।  
<sup>#</sup> विकासपरक व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय, विकासपरक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।  
 स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे और आर्थिक सलाहकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय।

<sup>8</sup> उस श्रेणी में व्यय का अनुपात सकल व्यय (स व्य) के लिए।

चार्ट-1.14: वर्ष 2018-19 के लिए प्रतिशतता में सार्वजनिक व्यय की प्राथमिकता



उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2014-15 के साथ 2017-18 तथा 2018-19 में औसत व्यय का तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है:

- 2017-18 एवं 2018-19 में राज्य सरकार का सकल व्यय, स रा घ उ के अनुपात में 2014-15 की तुलना में क्रमशः 0.52 एवं 0.58 प्रतिशतता बिन्दु कम था।
- सकल व्यय (स व्य) के अनुपात में 2017-18 एवं 2018-19 में विकासपरक व्यय (वि व्य) 2014-15 के सापेक्ष क्रमशः 10.25 एवं 8.42 प्रतिशतता बिन्दु कम था।
- वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में सामाजिक क्षेत्र व्यय का सकल व्यय के अनुपात में क्रमशः 5.56 एवं 5.33 प्रतिशतता बिन्दु कम हो गया।
- वर्ष 2014-15 के सापेक्ष 2017-18 एवं 2018-19 में आर्थिक क्षेत्र व्यय, सकल व्यय के अनुपात में क्रमशः 4.69 एवं 3.10 प्रतिशतता बिन्दु कम हुआ।
- वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) का सकल व्यय के अनुपात में क्रमशः 1.95 एवं 2.77 प्रतिशतता बिन्दु कम हो गया।

आगे, वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में विशेष श्रेणी राज्यों के औसत एवं उत्तराखण्ड राज्य के औसत का वर्ष 2014-15 से तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है:

- राज्य में स रा घ उ के अनुपात के रूप में सकल व्यय (स व्य) विगत तीन वर्षों में विशेष श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में कम रहा।
- राज्य में सकल व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय 2014-15 के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था। तथापि, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान यह कम था।
- विशेष श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में 2014-15 के दौरान राज्य में सकल व्यय के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र व्यय अधिक था। तथापि, 2017-18 व 2018-19 के दौरान यह कम था।

- सभी तीन वर्षों के दौरान राज्य में सकल व्यय के अनुपात के रूप में आर्थिक क्षेत्र का व्यय विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में कम था।
- राज्य सरकार द्वारा 2014-15, 2017-18 और 2018-19 में पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि पूँ व्य का सकल व्यय से अनुपात विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक है।
- सभी तीन वर्षों के दौरान राज्य में सकल व्यय के अनुपात के रूप शिक्षा क्षेत्र में व्यय विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था।
- 2014-15 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यय सकल व्यय के अनुपात में विशेष श्रेणी राज्यों के सापेक्ष थोड़ा अधिक था लेकिन यह 2017-18 और 2018-19 के दौरान नीचे था।

### 1.7.2 व्यय करने की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास मर्दों पर लोक व्यय के महत्व के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार के लिए उचित व्यय औचित्यपूर्ण कदम उठाना तथा कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स<sup>9</sup> के प्रावधान पर जोर देना महत्वपूर्ण है। विकासपरक व्यय<sup>10</sup> हेतु धन के आवंटन में वृद्धि के अतिरिक्त, व्यय की दक्षता, पूँजीगत व्यय के कुल व्यय से अनुपात (और/अथवा सराघउ) एवं विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रखरखाव पर होने वाले राजस्व व्यय के समानुपात से भी परिलक्षित होता है। कुल व्यय (और/या सराघउ) के लिए इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, उतना ही व्यय की गुणवत्ता बेहतर होगी। जहाँ, एक ओर **तालिका-1.18** चालू वर्ष व गत वर्ष के दौरान राज्य के कुल व्यय से सम्बन्धित विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है, वहीं **तालिका-1.19**, चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किए गये पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान कुल व्यय (कु व्य) में विकासपरक राजस्व व्यय (वि रा व्य) का अंश औसतन 47 प्रतिशत रहा। गत वर्ष की तुलना में वि रा व्य में 13.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा चालू वर्ष के दौरान भी कुल व्यय में इसकी हिस्सेदारी दो प्रतिशत बढ़ गई। वर्ष 2014-15 (₹ 4,725 करोड़) की तुलना में वर्ष 2015-16 में विकासपरक पूँजीगत व्यय (वि पूँ व्य) में ₹ 619 करोड़ (13.10 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2016-17 के दौरान इसमें ₹ 776 करोड़ (18.90 प्रतिशत), वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 228 करोड़ (4.67 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा वर्ष 2018-19 में भी अपनी प्रवृत्ति (₹ 620 करोड़, 12.13 प्रतिशत) जारी रखी। तथापि, कुल व्यय में वि पूँ व्य का अंश वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में अपरिवर्तित रहा। समग्र विकास परक व्यय में 2014-15 से 2018-19 की अवधि में लगभग 28.79 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और कु व्य में इसका अंश 2014-15 में 68 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 60 प्रतिशत हो गया।

<sup>9</sup> परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

<sup>10</sup> परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

तालिका-1.18: विकासपरक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासपरक व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					ब अ	वास्तविक
विकासपरक व्यय	17,955 (68)	18,098 (66)	19,477 (64)	20,391 (58)	25,504 (60)	23,125 (60)
(अ) विकासपरक राजस्व व्यय	13,081 (49)	13,910 (50)	14,431 (47)	15,205 (43)	19,482 (46)	17,212 (45)
(ब) विकासपरक पूँजीगत व्यय	4,725 (18)	4,106 (15)	4,882 (16)	5,110 (15)	5,831 (14)	5,730 (15)
(स) विकासपरक ऋण एवं अग्रिम	149 (01)	82 (01)	164 (01)	76 (-)	191 (-)	183 (-)

कोष्ठक के आँकड़े समय व्यय के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

तालिका-1.19: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2017-18			2018-19		
	कु व्य पर पू व्य का अनुपात	रा व्य में अंश		कु व्य पर पू व्य का अनुपात	रा व्य में अंश	
		वे एवं पा	परि एवं मर		वे एवं पा	परि एवं मर
<b>सामाजिक सेवाएँ (सा से) मुख्य घटकों पर व्यय</b>						
सामान्य शिक्षा	2.81	79.32	0.03	1.49	79.07	0.03
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3.95	63.03	0.32	8.94	57.00	0.29
जलापूर्ति, स्वच्छता और आवासीय एवं शहरी विकास	54.96	2.44	0.26	54.36	1.69	0.49
<b>सा से पर कुल व्यय</b>	<b>10.62</b>	<b>70.65</b>	<b>0.10</b>	<b>9.34</b>	<b>69.96</b>	<b>0.11</b>
<b>आर्थिक सेवाएँ (आ से) मुख्य घटकों पर व्यय</b>						
कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलाप	27.18	39.34	1.29	28.65	35.16	1.79
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	43.60	78.52	8.85	45.48	74.97	9.70
विद्युत एवं ऊर्जा	87.80	0.66	0.00	94.20	0.76	0.00
परिवहन	86.60	11.32	3.93	81.49	9.64	4.22
<b>आ से पर कुल व्यय</b>	<b>49.42</b>	<b>42.53</b>	<b>2.62</b>	<b>47.44</b>	<b>37.84</b>	<b>3.06</b>
<b>सा से + आ से पर कुल व्यय</b>	<b>24.95</b>	<b>63.64</b>	<b>0.73</b>	<b>23.41</b>	<b>61.82</b>	<b>0.86</b>

कु व्य: कुल व्यय, पू व्य: पूँजीगत व्यय, रा व्य: राजस्व व्यय, वे एवं पा: वेतन एवं पारिश्रमिक, परि एवं मर: परिचालन एवं मरम्मत।

राज्य सरकार ने अपने बजट 2018-19 में, वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 6,583.79 करोड़ पूँजीगत व्यय की वचनबद्धता दर्शायी। तथापि, राज्य सरकार मात्र ₹ 6,184.42 करोड़ का ही पूँजीकरण कर सकी जो कि बजट अनुमानों से ₹ 399.37 करोड़ (6.07 प्रतिशत) कम था। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में पूँजीगत व्यय में ₹ 270.05 करोड़ की वृद्धि हुई।

2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं, दोनों में राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में वेतन एवं भत्तों में क्रमशः 0.69 प्रतिशत तथा 4.69 प्रतिशत बिन्दु की कमी हुई। सामाजिक सेवाओं में परिचालन एवं मरम्मत के अन्तर्गत व्यय में राजस्व व्यय की प्रतिशतता लगभग पूर्ववत रही। आर्थिक सेवाओं में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान मामूली वृद्धि हुई है।

### 1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण

एफ आर बी एम ढाँचे के उपरान्त राज्य से न केवल अपने राजकोषीय घाटे (व उधार) को निम्न स्तर पर रखने अपितु अपने पूँजीगत ऋण एवं अग्रिम सहित व्यय और निवेश की जरूरतों को वहन करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने एवं ऋण से प्राप्त निधियों की लागत को अप्रत्यक्ष उपदान के रूप में अपने बजट से वहन करने के बजाय वसूल किये जाने तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए

आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। यह खण्ड, पूर्व वर्षों के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्यय का व्यापक तौर पर वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

### 1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2019 को विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं सम्बन्धी सूचना तालिका-1.20 में दी गयी है।

तालिका-1.20: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	*परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	पुनरीक्षित आगणन में लागत वृद्धि	31.03.2019 को संचयी वास्तविक व्यय
लोक निर्माण विभाग	202	716.66	725.12	8.46	480.30
*राज्य सरकार द्वारा 31.03.2019 तक किये गये अन्तिम पुनरीक्षण के अनुसार परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत को इंगित करता है।					

स्रोत: वित्त लेखे।

परियोजनाओं के पूरा होने में देरी ने केवल व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, बल्कि राज्य को अपेक्षित लाभ और आर्थिक विकास से भी वंचित किया।

### 1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2019 को, सांघिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी समितियों (तालिका-1.21) में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था और पिछले पाँच वर्षों में निवेश (ऐतिहासिक मूल्य पर) का 0.004 से 0.71 प्रतिशत का प्रसार रहा, जबकि सरकार ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान 8.25 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया था।

तालिका-1.21: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ऋणों की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	2,809	2,914	3,124	3,209	3,402
प्रतिफल (लाभांश/ब्याज) (₹ करोड़ में)	0.11	5.10	15.21	22.69	18.69
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.004	0.18	0.49	0.71	0.55
सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.73	8.19	8.90	8.27	8.15
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अन्तर (प्रतिशत)	7.73	8.01	8.41	7.56	7.60
सरकारी उधारों की ब्याज दर और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण काल्पनिक हानि (₹ करोड़ में)	217.14	233.41	262.73	242.60	258.55

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य के पास राज्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सरकार को लाभांश का भुगतान करने के लिए नीति नहीं है। राज्य सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में सरकार की उधार लागत और कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश पर अंतर के कारण निवेश पर ₹ 1,214.43 करोड़ के प्रतिफल का काल्पनिक नुकसान उठाया है। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार ने लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा राज्य सरकार को लाभांश का भुगतान करने के लिए एक नीति बनाने पर सहमति व्यक्त की है।

मुख्य निवेश (i) उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 1,321.03 करोड़) (ii) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 1,178.86 करोड़) एवं उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन (₹ 473.88 करोड़) में थे। वर्ष 2018-19 के अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ₹ 3,121.95 करोड़ की संचित हानि को वहन किया जबकि उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2018-19 के अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार क्रमशः ₹ 939.86 करोड़ एवं ₹ 202.34 करोड़ का लाभ संचित किया था।

उत्तराखण्ड राज्य में कुल 30 सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिनमें से 22 सार्वजनिक उपक्रम क्रियाशील हैं और आठ अक्रियाशील हैं। क्रियाशील 22 सार्वजनिक उपक्रमों<sup>11</sup> में से, नौ सार्वजनिक उपक्रमों ने हानि वहन की और अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार उन्हें ₹ 4,400.07 करोड़ का संचित घाटा हुआ। चालू वर्ष के दौरान उत्तराखण्ड सरकार ने अक्रियाशील सार्वजनिक उपक्रमों को न कोई ऋण दिया है और न ही कोई निवेश किया। इसके अलावा, 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में ₹ 15 करोड़ का निवेश किया और वर्ष 2018-19 के दौरान दो राज्य सार्वजनिक उपक्रमों अर्थात् डोईवाला शुगर कंपनी और किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड को ₹ 123.76 करोड़ का अनुदान दिया। सभी तीन सार्वजनिक उपक्रमों को 31 मार्च 2019 तक संचित हानि हो रही थी।

यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने इक्विटी शेयर पूँजी के रूप में ₹ 0.50 करोड़<sup>12</sup> का निवेश किया तथा चार सार्वजनिक उपक्रमों, जिनके खातों में बकाया थे, को ₹ 125.81 करोड़<sup>13</sup> का अनुदान/उपदान प्रदान किया।

### 1.8.3 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय प्रबन्धित उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलाप भी निष्पादित किए जाते हैं। राज्य में तीन विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम हैं। इसमें से केवल एक कंपनी, अर्थात् सिंचाई कार्यशाला, रुड़की ने 2011-12 तक अपने खातों को अंतिम रूप दे दिया था। सरकार द्वारा किए गए निवेशों की उस वर्ष तक जिस वर्ष तक के प्रोफार्मा खातों को अंतिम रूप दिया गया है, विभागवार स्थिति शुद्ध लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेश की गई पूँजी का प्रतिफल *परिशिष्ट-1.5* में दिया गया है। तीन कंपनियों के अंतिम लेखाओं की जाँच में पाया गया है कि:

<sup>11</sup> 22 क्रियाशील सार्वजनिक उपक्रमों में से आठ लाभ कमाने वाले थे और शेष पाँच सार्वजनिक उपक्रमों ने पिछले पाँच वर्षों से अपने खातों को अंतिम रूप नहीं दिया था।

<sup>12</sup> उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम।

<sup>13</sup> दो राज्य सार्वजनिक उपक्रमों डोईवाला शुगर कंपनी और किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड को दिये ₹123.76 करोड़ शामिल हैं, जिन्हें 31 मार्च 2019 तक संचित हानि हो रही थी; उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम-₹1.80 करोड़ और उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम-₹ 0.25 करोड़।

- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राज्य सरकार द्वारा 'सरकारी सिंचाई कार्यशाला', रुड़की, में ₹ 1.92 करोड़ का निवेश किया गया था।
- कुल तीन उपक्रमों, अर्थात् सिंचाई कार्यशाला, रुड़की; क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी एवं देहरादून, में से केवल सिंचाई कार्यशाला, रुड़की के 2011-12 तक के खातों को अंतिम रूप दे दिया था। वर्ष 2007-08 तक यह लाभ अर्जित करने वाला उपक्रम था, परन्तु तत्पश्चात शुद्ध हानि दर्ज की गयी।

#### 1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को ऋण एवं अग्रिम राशि भी उपलब्ध कराती रही है। तालिका-1.22, 31 मार्च 2019 को बकाया ऋण एवं अग्रिमों, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका-1.22: राज्य सरकार द्वारा ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियाँ/ऋण की लागत की मात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	
			ब अ	वास्तविक
राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम का प्रारम्भिक शेष	1,596.45 <sup>#</sup>	1,726.65	--	1,769.97
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम राशि	165.05	76.83	191.98	183.48
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	34.85	33.51	32.74	26.91
अंतिम शेष	1,726.65	1,769.97	--	1,926.54
निवल वृद्धि	130.20	43.33	--	156.57
ब्याज प्राप्तियाँ	0.17	0.08	--	1.13
बकाया ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्तियाँ प्रतिशत के रूप में	0.01	0.005	--	0.06
बकाया शेष जिनकी निबंधन एवं शर्तें नियत की जा चुकी हैं	सूचना उपलब्ध नहीं है			
<b>स्रोत : वित्त लेखे एवं वार्षिक वित्तीय विवरण (उत्तराखण्ड सरकार)।</b>				
<b># उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य विभाजन न किए गए शेष भाग के कारण गत वर्ष के अन्तिम शेष से भिन्न।</b>				

सरकार ने वर्ष 2017-18 में दिये अग्रिम ऋण ₹ 76.83 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 183.48 करोड़ का अग्रिम ऋण दिया, जो कि पिछले वर्ष से ₹ 106.65 करोड़ (138.81 प्रतिशत) अधिक था। यह बढ़ोतरी मुख्यतः कृषि क्षेत्र (₹ 107.84 करोड़) एवं ऊर्जा क्षेत्र (₹ 7.89 करोड़) को ऋण एवं अग्रिम के कारण हुई, जो कि शहरी विकास (₹ 5.80 करोड़) एवं परिवहन क्षेत्र (₹ 2.97 करोड़) को ऋणों के कम वितरण के फलस्वरूप आंशिक तौर पर प्रतिभारित हुई। गत वर्ष की अपेक्षा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली भी ₹ 6.60 करोड़ की कमी को दर्शाती है।

गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में बकाया ऋणों और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ में कुछ वृद्धि दिख रही है। वर्ष 2018-19 में ब्याज भुगतान राज्य की राजकोषीय दायित्वों की प्रतिशतता

के रूप में 7.71 प्रतिशत थी जो कि गत वर्ष की अपेक्षा मामूली अधिक थी। जबकि विभिन्न संस्थाओं, निगमों/शासकीय कम्पनियों एवं सरकारी कर्मचारियों, इत्यादि को दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज प्राप्ति (प्रतिफल), जो कि 2009-10 तक प्राप्त करनी थी, बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य सात प्रतिशत के सापेक्ष केवल 0.06 प्रतिशत रहा।

31 मार्च 2019 तक सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण ₹ 1,926.54 करोड़ थे। मुख्य लाभार्थी कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ (₹ 1,011.24 करोड़), ऊर्जा (₹ 211.59 करोड़) एवं परिवहन क्षेत्र (₹ 153.80 करोड़) थे।

कुल बकाया ऋणों की समीक्षा में पाया गया कि मार्च 2019 के अंत तक तीन क्षेत्रों अर्थात् सामान्य सेवा (अन्य ऋणों), विशेष क्षेत्र परियोजना और परिवहन क्षेत्र के द्वारा जैसा कि तालिका-1.23 में वर्णित है, द्वारा विगत पाँच वर्षों में कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया एवं एक क्षेत्र (कृषि एवं संबन्धित क्रियाकलाप) को अतिरिक्त ऋण आंशिक पुनर्भुगतान के बावजूद बढ़ाया गया। एक अन्य क्षेत्र जलपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास से अल्प वसूली अभिलेखित की गयी है। समग्र बकाया अवशेष वर्ष दर वर्ष में बढ़े ही हैं।

तालिका-1.23: लम्बे समय से लंबित ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	सामान्य सेवायें (अन्य ऋण)	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47
2.	जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	42.09	42.09	47.89	47.89	42.09
3.	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	795.99	797.92	895.31	899.79	1,011.24
4.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	9.53	9.53	503.68 <sup>#</sup>	503.16	503.16
5.	परिवहन	135.11	136.11	140.29	148.53	153.80
<b>योग</b>		<b>1,002.19</b>	<b>1,005.12</b>	<b>1,606.64</b>	<b>1,618.84</b>	<b>1,729.76</b>

<sup>#</sup>अनावंटन अवशेषों को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य संविभाजित किये जाने के कारण ₹ 494.15 करोड़ की वृद्धि।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को ₹ 659.48 करोड़ की धनराशि का अग्रिम दिया गया था। इसी अवधि के दौरान, ₹ 168.05 करोड़ की धनराशि का पुनर्भुगतान कर दिया गया। वसूली की राशि 2014-15 में वर्ष के प्रारम्भ में बकाया राशि और वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की धनराशि के चार प्रतिशत से प्रत्येक वर्ष घटते हुए 2018-19 में दो प्रतिशत से कम हो गई। चालू वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि ₹ 26.91 करोड़ थी जो 31 मार्च 2019 तक बकाया ऋणों (₹ 1,926.54 करोड़) का 1.40 प्रतिशत थी।

क्योंकि ऋणों की वसूली खराब रही है, राज्य सरकार इन ऋणों और अग्रिमों को अनुदान के रूप में मानने और उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करने पर विचार कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखे सही स्थिति दर्शा रहे हैं।

### 1.8.5 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका-1.24 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों से किये गये निवेश को इंगित करती है।

तालिका-1.24: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष से किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2018 को	31 मार्च 2019 को
<b>(अ) सामान्य रोकड़ शेष</b>		
कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में रोकड़	00	00
रिजर्व बैंक में जमा	1,171.00	1,158.50
अन्य बैंकों में जमा (ब)	00	00
<b>योग</b>	<b>1,171.00</b>	<b>1,158.50</b>
रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखा निवेश	385.49	247.48
<b>योग (अ)</b>	<b>1,556.49</b>	<b>1,405.98</b>
<b>(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश</b>		
विभागीय अधिकारियों जैसे लोक निर्माण विभाग अधिकारियों, वन विभाग अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के पास रोकड़	(-) 10.70	(-) 10.71
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों के पास स्थायी अग्रिम	(-) 0.81	(-) 0.81
निर्धारित निधियों का निवेश	1,188.62	1,188.62
<b>योग (ब)</b>	<b>1,177.11</b>	<b>1,177.10</b>
<b>महायोग (अ)+(ब)</b>	<b>2,733.60</b>	<b>2,583.08</b>

स्रोत: वित्त लेखे।

अन्तिम रोकड़ शेष पिछले वर्ष (₹ 2,733.60 करोड़) के सापेक्ष चालू वर्ष (₹ 2,583.08 करोड़) के अन्त में ₹ 150.52 करोड़ घट गया।

राज्य सरकार ने रोकड़ शेष से ₹ 1,188.62 करोड़ की निर्धारित निधियों का सृजन किया। निर्धारित निधियों की यह राशि जो ऋण शोधन निवेश लेखा (₹ 1,153.62 करोड़) एवं प्रत्याभूति मोचन कोष (₹ 35 करोड़) से मिलकर बनी है, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से निवेश की गई। वर्ष के दौरान शासन को 18 बार ओवरड्राफ्ट सुविधा का सहारा लेना पड़ा। सरकार 2018-19 के दौरान अधिकतम दिनों (198 दिनों) के लिए ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम नकदी बकाया बनाए रखने में सक्षम थी। सरकार ने वर्ष के दौरान 142 अवसरों पर सामान्य अग्रिमों को लेकर न्यूनतम बकाया बनाए रखा। वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह में अस्थायी असंतुलन ने सरकार को सात अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम लेने के लिए बाध्य किया। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य को ₹ 6.08 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में देना पड़ा।


2018-19 के दौरान, राज्य में वर्ष के प्रारम्भ में ₹ 1,556.49 करोड़ का सामान्य रोकड़ शेष था और सरकार ने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए खुले बाजार से ₹ 6,300 करोड़ उधार लिए। वर्ष के अंत में सामान्य रोकड़ शेष राशि ₹ 1,405.98 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 2018-19 के दौरान रोकड़ शेष निवेश खाते पर प्राप्त ब्याज ₹ 10.49 करोड़ (2.72 प्रतिशत) था, जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपने बाजार उधार पर

8.15 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था। इसलिए, यह राज्य के वित्तीय हित में होता है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध रोकड़ शेष राशि (आर बी आई के पास अनिवार्य न्यूनतम रोकड़ शेष से परे) का उपयोग करे ताकि अपनी उधारियों को कम कर सके।

पिछले पाँच वर्षों में उधारियों के सापेक्ष औसत रोकड़ शेष को चार्ट-1.15 में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.15: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए उधार के सापेक्ष रोकड़ शेष



## 1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

### 1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संरचना

विद्यमान सरकारी लेखा पद्धति में, सरकारी स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों, जैसे कि भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया गया है। तथापि, सरकारी लेखे, सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। **परिशिष्ट-1.4 (भाग-ब)** 31 मार्च 2018 की समतुल्य स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2019 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार प्रदान करता है। इस परिशिष्ट में दायित्वों में मुख्यतः आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं तथा परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं।

### 1.9.2 राजकोषीय दायित्व


सरकार के दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम और सार्वजनिक खाते में शेष राशि शामिल है। 31 मार्च 2019 को राज्य के कुल दायित्व, ₹ 58,039 करोड़ थे; इसकी संरचना चार्ट-1.16 में है।

चार्ट-1.16: राज्य सरकार की 2018-19 की कुल दायित्वों के घटक

कुल दायित्व (₹ 58,039 करोड़) <sup>14</sup>		
बाजार, वित्तीय संस्थानों, आदि से आंतरिक ऋण (₹ 45,443 करोड़)	ऋण और अग्रिम भारत सरकार से (₹ 790 करोड़)	सार्वजनिक खाता दायित्व जहां सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है (₹ 11,806 करोड़)
बाजार ऋण (₹ 31,952 करोड़)	राज्य आयोजना योजनाओं के लिए ऋण (₹ 786 करोड़)	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि. (₹ 7,899 करोड़)
वित्तीय संस्थानों से ऋण (₹ 4,063 करोड़)	आयोजनेत्तर ऋण (₹ चार करोड़)	आरक्षित कोष (₹ 573 करोड़)
एन एस एस एफ को जारी किए गए विशेष प्रतिभूति (₹ 9,427 करोड़)	1984-85 के पूर्व ऋण (₹ 0.53 करोड़)	जमा (₹ 3,334 करोड़)
अन्य संस्थानों से ऋण (₹ एक करोड़)		

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट-1.3, परिशिष्ट-1.4 (भाग-अ)** व राज्य वित्त लेखे के **विवरण 6** में प्रस्तुत किया गया है। पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्वों की संरचना **चार्ट-1.17** और **चार्ट-1.18** में प्रस्तुत की गई है।




राजकोषीय दायित्व से सराघउ अनुपात पिछले वर्ष के अनुपात 23.26 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 में 23.60 प्रतिशत था। वर्ष के लिए यह अनुपात चौविआ के निर्धारित मापदण्ड (22.56 प्रतिशत) से 1.04 प्रतिशतता बिंदु अधिक था। समस्त राजकोषीय दायित्व वर्ष 2014-15 के ₹33,480 करोड़ से 73.35 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹58,039 करोड़ हो गए थे। राजकोषीय दायित्व में लोक ऋण (₹46,233 करोड़), लघु बचत और भविष्य निधि, आदि (₹7,899 करोड़), और अन्य दायित्व (₹3,907 करोड़) शामिल हैं। पिछले वर्ष 2017-18 की तुलना में चालू वर्ष के अंत में राजकोषीय देनदारियों (₹6,208 करोड़) में वृद्धि मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, लघु बचत और भविष्य

<sup>14</sup> सामान्य रोकड़ शेष और आकस्मिक निधि (कोष) शामिल नहीं है।

निधि आदि के कारण हुई, जो कि क्रमशः ₹5,157 करोड़ और ₹889 करोड़ तक बढ़ गए थे। वर्ष के दौरान स रा घ उ के संबंध में इन दायित्वों की उत्प्लावकता 1.16 थी जो यह दर्शाता है कि सराघउ में प्रत्येक प्रतिशतता बिन्दु की वृद्धि के लिए, राजकोषीय दायित्वों में 1.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2018-19 के दौरान, ये दायित्व (₹58,039.27 करोड़) राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 1.86 गुणा और अपने स्वयं के संसाधनों का 3.74 गुणा अधिक था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए राजकोषीय दायित्व की संरचना की प्रवृत्तियाँ चार्ट-1.19 में दर्शाया गयी हैं।

चार्ट-1.19: दायित्वों की प्रवृत्ति



स्रोत: वित्त लेखी

### 1.9.3 जमा एवं आरक्षित निधियों के अधीन लेन-देन

(अ) 31 मार्च 2019 को राज्य सरकार सात आरक्षित निधियों का संचालन कर रही थी, जिसमें से एक आरक्षित निधि ब्याज सहित<sup>15</sup> (₹494.43 करोड़ जमा) तथा छः ब्याज रहित निधियाँ<sup>16</sup> (₹1,267.65 करोड़ जमा) हैं। इन सात निधियों में से दो निधियाँ निष्क्रिय (शेष ₹36.48 करोड़ नामे) तथा पाँच निधियाँ क्रियाशील (शेष ₹1,798.56 करोड़ जमा) हैं। 1 अप्रैल 2018 को, इन सात निधियों के सापेक्ष ₹1,650.54 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने संचित निधि से आरक्षित निधियों में ₹243 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की और इन निधियों से ₹131.46 करोड़ व्यय किया जिससे 31 मार्च 2019 को ₹1,762.08 करोड़ की धनराशि शेष रही। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त राशि से किसी भी धनराशि का निवेश नहीं किया गया। वर्ष के अंत तक कुल निवेश ₹1,188.62 करोड़ किया गया तथा ₹573.46 करोड़ शेष रहा। निष्क्रिय आरक्षित निधियों को बंद करने तथा संलिप्त धनराशि को संबन्धित राजस्व शीर्ष में अंतरण करने के लिए पुनर्वलोकन की आवश्यकता थी। उक्तांकित निष्क्रिय खातों के संबंध में यह नहीं किया गया।

<sup>15</sup> राज्य आपदा मोचन निधि।

<sup>16</sup> 1. ऋण शोधन निधि 2. शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि 3. चीनी विकास निधि 4. विद्युत विकास निधि 5. अन्य विकास और कल्याण निधि 6. मोचन निधि की प्रत्याभूति।

(ब) लोक लेखों के क्षेत्र 'ज' तथा 'क' के अधीन ब्याज सहित आरक्षित निधियों तथा ब्याज सहित जमा धनराशि के संबंध में ₹40.38 करोड़ का वार्षिक दायित्व जिसे राज्य सरकार को वहन करना है। राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 को ऐसी आरक्षित निधियों तथा जमा में शेष राशि होने के बावजूद देय ब्याज के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था, जिसका विवरण तालिका-1.25 में है:

तालिका-1.25: आरक्षित निधियों एवं निक्षेपों में रोकड़ शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)				
क्षेत्र	उप-क्षेत्र	ब्याज दर	2018-19 के आरंभ में शेष	देय ब्याज
ज - आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधि (रा आ प्र नि सहित)	6.33 प्रतिशत (अर्थात्पाय ब्याज दर का औसत)	381.66	24.16
क - जमा तथा अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा (सी पी एस मुख्य शीर्ष 8342-117 के अलावा)	6.33 प्रतिशत (अर्थात्पाय ब्याज दर का औसत)	256.22	16.22
<b>कुल ब्याज</b>				<b>40.38</b>

**राज्य आपदा विमोचन निधि (एस डी आर एफ):** भारत सरकार द्वारा 2010-11 में मौजूदा आपदा राहत निधि को राज्य आपदा मोचन निधि (एस डी आर एफ) के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र एवं उत्तराखण्ड जैसे विशेष श्रेणी राज्यों को 90:10 के अनुपात में योगदान देना आवश्यक है। दिशा निर्देशों के अनुसार, ये योगदान, व्यय मुख्य शीर्ष 2245 से प्रचालित होकर लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121 के अधीन अंतरित होने हैं। आपदा प्रतिक्रिया पर वर्ष के दौरान किया गया व्यय लोक लेखा को नामे करने के साथ मुख्य शीर्ष 2245 को नामे कम करके समायोजित किया जाता है। वर्ष के अंत में निधि में शेष धनराशि का निवेश किया जाता है। जब राज्य आपदा मोचन निधि में शेष धनराशि प्राकृतिक आपदाओं पर होने वाले व्यय के लिए कम पड़ जाती है तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अधीन दी गयी समस्त धनराशि का उपयोग सीधे प्राकृतिक आपदाओं पर किया जाता है।

1 अप्रैल 2018 को, निधि में ₹ 381.66 करोड़ की धनराशि शेष थी। 2018-19 के दौरान, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के लिए ₹ 219.19 करोड़ अवमुक्त किए। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सभी निर्गतों के साथ अपने अंश ₹ 23.81 करोड़ लोक लेखा को हस्तांतरित कर दिये। निधि में उपलब्ध शेष धनराशि में से, ₹ 130.23 करोड़ का व्यय आरम्भ में मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत किए गए इंद्राज के पश्चात समायोजित किये जिससे 31 मार्च 2019 को निधि में ₹ 494.43 करोड़ की धनराशि शेष रही। दिशा निर्देशों के विरुद्ध, राज्य सरकार ने इस धनराशि को निवेशित नहीं किया।

#### 1.9.4 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूतियाँ, उधार लेने वाले, जिसके लिये प्रत्याभूति दी गयी है, के दोषी होने पर राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व हैं।

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में यह विहित है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होते समय विद्यमान, राज्य सरकार के किसी नियम या कानून के अन्तर्गत अथवा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या कानून द्वारा, निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर प्रत्याभूति नहीं देगी। तथापि, राज्य विधायिका द्वारा (संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत उस अधिकतम सीमा के निर्धारणार्थ जिसके अन्तर्गत सरकार राज्य समेकित निधि की प्रतिभूति पर प्रत्याभूतियाँ दे सके) संबन्धित प्रावधान दिसम्बर 2016 में संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम में किया गया है।


वित्त लेख के विवरण 9 के अनुसार, अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा प्रत्याभूतियाँ दी गई थीं तथा विगत पाँच वर्षों में बकाया प्रत्याभूतियाँ तालिका-1.26 एवं चार्ट-1.20 में दी गई हैं:

तालिका-1.26: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)					
प्रत्याभूतियाँ	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
31 मार्च तक प्रत्याभूति की बकाया राशि	1,832	1,743	1,248	1,499 <sup>#</sup>	1,311
राज्य सरकार अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा	किसी भी वर्ष के लिए बकाया प्रत्याभूतियाँ स रा घ उ के एक प्रतिशत तक निर्धारित है। वर्ष के दौरान दी गयी नई प्रत्याभूति स रा घ उ के 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।				
वर्ष के दौरान परिवर्धन	438	915	295	251	--
वर्ष के दौरान विलोपन	81	1,004	790	75	188

# विगत वर्ष के अंतिम शेष से अंतर है क्योंकि बजट दस्तावेजों में प्रा.अ. ₹ 1,499 करोड़ लिया गया था।

चार्ट-1.20: बकाया प्रत्याभूतियों की स्थिति




स्रोत: वित्त लेख।

31 मार्च 2019 को बकाया प्रत्याभूति की राशि ₹ 1,311 करोड़ थी, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र (₹ 918 करोड़), सहकारिताओं (₹ 188 करोड़) और अन्य (₹ 205 करोड़) सम्मिलित थे। 31 मार्च 2019 को कुल बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,311 करोड़ थी जो वर्ष के लिए स रा घ उ का 0.53 प्रतिशत है और इसलिए एफ आर बी एम की निर्धारित सीमा में थी। चार्ट-1.21 में कम्पनीवार विवरण दिया गया है।

चार्ट-1.21: 31 मार्च 2019 के अंत में प्रत्याभूति की प्राप्ति में निकाय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे।


सरकार द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी प्रत्याभूति आह्वानित नहीं की गई। इस प्रकार वित्त लेखे में इंगित प्रत्याभूति की अधिकतम राशि एवं प्रत्याभूति की बकाया धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध सूचना पर आधारित है।

### 1.10 ऋण प्रबंधन

#### (i) ऋण रूपरेखा

राज्य के बकाया ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋण) की परिपक्वता रूपरेखा चार्ट-1.22 में दी गई है।

चार्ट-1.22: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा




स्रोत: वित्त लेखे।

\*वित्त लेखे में ₹ 4,064 करोड़ की राशि वाले अन्य ऋणों के संबंध में परिपक्वता रूपरेखा प्रदान नहीं की गई है।

31 मार्च 2019 को, लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि 52 प्रतिशत लोक ऋण सात वर्षों या अधिक की परिपक्वता स्थिति में था। दस वर्ष की अवधि में भुगतान किए जाने

वाले बकाया बाजार ऋण और उस पर ब्याज की राशि का विवरण नीचे तालिका-1.23 में दिया गया है:



नोट: 31 मार्च 2019 को बकाया बाजार ऋण के लिए परिपक्वता रूपरेखा विकसित की गई है और ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋण समाप्त होने जा रहे हैं।

राज्य को बाजार ऋणों के ₹ 2,992 करोड़ का पुनर्भुगतान करना होगा और अगले तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2021-22 तक ₹ 7,683 करोड़ का ब्याज भुगतान करना होगा। उसके अगले दो वर्षों में 2023-24 तक, ₹ 4,250 करोड़ मूलधन और ₹ 4,583 करोड़ का ब्याज देय होगा। ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में वार्षिक बहिर्गमन 2023-24 तक अगले पाँच वर्षों के दौरान लगभग ₹ 3,901.60 करोड़ होगा।

2024-25 से 2028-29 की अवधि में ₹ 24,710 करोड़ का ऋण और ₹ 6,773 करोड़ का ब्याज देय होगा। जैसे कि राज्य को 2024-25 से 2028-29 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 6,296.60 करोड़ का वार्षिक पुनर्भुगतान करना होगा। ब्याज सहित ऋणों का वर्तमान वार्षिक पुनर्भुगतान ₹ 3,334 करोड़ है। पिछले पाँच वर्षों में राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा) और राजस्व व्यय (रा व्य) क्रमशः 16.04 प्रतिशत और 19.71 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा है। इन विकास दर को लागू करते हुए, और यह मानते हुए कि इन दरों पर रा प्रा और रा व्य बढ़ते रहेंगे, राज्य का राजस्व घाटा 2024-25 में ₹ 13,473 करोड़ और वर्ष 2028-29 तक ₹ 56,401 करोड़ हो जाएगा।

भविष्य में पुनर्भुगतान दायित्व काफी हद तक बढ़ जाएंगे और रा प्रा और रा व्य की वृद्धि दर की वर्तमान दर से राज्य 2028-29 तक राजस्व घाटे में बना रहेगा। इसलिए, राज्य को अपने ऋण दायित्व को पूरा करने के लिए बढ़ी हुई उधारी का सहारा लेना होगा।

(ii) ऋण वहन क्षमता

ऋण वहन क्षमता राज्य की ऋण परिहार करने की क्षमता को दर्शाती है। सरकार के ऋणों के परिणाम के अलावा राज्य की ऋण वहन क्षमता को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 से आरम्भ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि में राज्य की ऋण वहन क्षमता में उतार चढ़ाव के सूचकों का विश्लेषण तालिका-1.27 में दिया गया है।

तालिका-1.27: ऋण वहन क्षमता: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण वहन क्षमता के सूचक <sup>17</sup>	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बकाया लोक ऋण	25,035	29,836	35,210	41,015	46,233
बकाया लोक ऋणों की वृद्धि की दर	17.23	19.18	18.01	16.49	12.72
राज्य की स रा घ उ	1,61,439	1,77,163	1,95,125	2,22,836	2,45,895
स रा घ उकी वृद्धि दर	8.29	9.74	10.14	14.20	10.35
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.15	8.53	9.67	8.97	8.78
ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्ति (प्रतिशत)	9.34	11.02	12.64	12.61	12.27
ऋण वापसी की ऋण प्राप्ति से प्रतिशतता#	19.55	29.38	17.35	22.87	28.27
लोक ऋण प्राप्ति	4,573	6,798	6,501	7,526	7,275
लोक ऋण पुनर्भुगतान	894	1,997	1,128	1,721	2,057
आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण पर ब्याज भुगतान	1,891	2339	3,146	3,417	3,830
राज्य के पास निवल ऋण उपलब्धता*	1,788	2,462	2,227	2,388	1,388
ऋण एवं ब्याज के पुनर्भुगतान का कुल उधर ली गयी राशि से प्रतिशतता	60.90	63.78	65.74	68.27	80.92

\*राज्य के पास निवल ऋण उपलब्धता का अनुमान लोक ऋण वापसी एवं लोक ऋण ब्याज भुगतान पर लोक ऋण प्राप्ति के आधिक्य से किया जाता है।

# आर्थापाय अग्रिम के अतिरिक्त।

ई डी डोमर<sup>18</sup> [डोमर, 1944] के एक अध्ययन के आधार पर ऋण स्थिरता पर विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल कहता है कि लोक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋणों के लिए ब्याज दर स रा घ उ की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लोक ऋण की गतिशीलता ब्याज दर, स रा घ उ की वृद्धि दर और प्राथमिक बजट संतुलन के आधार पर निम्नानुसार है:

जी-आर (जी - वास्तविक आर्थिक विकास दर; आर- वास्तविक ब्याज दर)	एस<0 (प्राथमिक घाटा)	एस> 0) (प्राथमिक आधिक्य)
जी-आर > 0 (मजबूत आर्थिक विकास)	स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण शून्य से अधिक एक स्थिर स्तर में परिवर्तित होना चाहिए।	स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण को लोक बचत के लिए शून्य से कम एक स्थिर स्तर में परिवर्तित करना चाहिए।
जी-आर <0 (धीमा आर्थिक विकास )	स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण एक स्थिर स्तर पर परिवर्तित किए बिना अनिश्चित स्तर तक बढ़ जाना चाहिए।	अपरभाषित परिस्थिति।

<sup>17</sup> परिशिष्ट-4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

<sup>18</sup> डोमर मॉडल ऋण स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा, संरचना, लागत और जोखिम विशेषताओं को ध्यान में नहीं रखता है।

उत्तराखण्ड के लिए विश्लेषण को लागू करने का परिणाम नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

वर्ष	वास्तविक विकास (जी)	वास्तविक ब्याज (आर)	जी-आर	प्राथमिक घाटा (-) /आधिक्य (एस) (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
2014-15	5.29	4.69	0.60	(-) 3,420	जी-आर >0 एवं एस<0: लोक ऋण शून्य से अधिक एक स्थिर स्तर तक परिवर्तित हो जाएगा।
2015-16	8.08	5.62	2.46	(-) 3,154	
2016-17	9.83	5.76	4.07	(-) 1,744	
2017-18	7.84	4.32	3.52	(-) 3,948	
2018-19	6.87	4.57	2.30	(-) 2,845	

वास्तविक स रा घ उ के लिए वास्तविक विकास दर की गणना।  
वास्तविक ब्याज दर मुद्रास्फीति के लिए समायोजित मामूली ब्याज दर है।

इसके अलावा, 2018-19 में ऋण से स रा घ उ का अनुपात 23.60 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे से स रा घ उ का अनुपात 2.98 प्रतिशत था। इसी चौदहवें वित्त आयोग (चौ वि आ) की ऋण सीमा का राजकोषीय लक्ष्य 22.56 था, और राजकोषीय घाटे की अंतिम सीमा स रा घ उ का 3.25 प्रतिशत थी। राज्य का पूँजीगत व्यय 2014-19 के दौरान 16 से 19 प्रतिशत के बीच रहा है।

पाँच वर्षों (2014-15 से 2018-19) में से प्रत्येक में राज्य को प्राथमिक घाटा था और इस अवधि के दौरान डोमर गैप (जी-आर) सकारात्मक है। इसलिए, डोमर मॉडल के अनुसार, लोक ऋण शून्य से अधिक एक स्थिर स्तर में परिवर्तित हो जाएगा। तथापि, अन्य कारक जैसे लोक लेखा दायित्व और मौजूदा कोरोना वायरस संकट जैसी जबरदस्त घटनाओं और स रा घ उ और/या राजस्व की किसी भी अन्य अचानक हानियों पर इसके प्रभाव को भी ऋण स्थिरता/राज्य की स्थिरता का अनुमान करने के रूप में माना गया है जैसा कि इन्हें आँकड़ों की दृष्टि से अनुमानित या निर्धारित नहीं किया जा सकता है; उन्हें विश्लेषण में तथ्य नहीं दिया गया है।

तालिका-1.28: उधार ली गई धनराशि का उपयोग

वर्ष	कुल उधारियाँ	पूर्व उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशतता)	निवल पूँजीगत व्यय* (प्रतिशतता)	(₹ करोड़ में)	
				निवल ऋण और अग्रिमों का संवितरण (प्रतिशतता)	कुल उधारियों में से राजस्व व्यय का भाग (प्रतिशतता)
2014-15	4,573	894 (20)	3,679 (80)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2015-16	6,798	1,997 (29)	4,217 (62)	56 (1)	528 (8)
2016-17	6,501	1,128 (17)	4,954 (76)	130 (2)	289 (5)
2017-18	7,526	1,721 (23)	5,805 (77)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2018-19	7,275	2,057 (28)	5,218 (72)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

\*निवल पूँजीगत व्यय = कुल पूँजीगत व्यय - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ

- वर्ष 2014-15, 2017-18 और 2018-19 में राज्य द्वारा कुल उधारियों को पूर्व के मूलधन के पुनर्भुगतान एवं पूँजीगत व्यय पर उपयोग किया गया।
- 2015-16 और 2016-17 के दौरान, कुल उधारियों में से क्रमशः ₹ 528 करोड़ और ₹ 289 करोड़ की राशि का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया।




उपर्युक्त तालिका-1.27 से यह देखा गया:

- बकाया लोक ऋणों की वृद्धि दर 2014-15 में 17.23 प्रतिशत से 1.95 प्रतिशतता बिन्दु बढ़कर 2015-16 तक 19.18 प्रतिशत हो गयी। तथापि, यह 2016-17 से घटते हुए गिरावट के दौर को प्रदर्शित करती है और चालू वर्ष में यह 12.72 प्रतिशत थी। लोक ऋण की वृद्धि दर स रा घ उ की तुलना में लगातार अधिक रही है।
- 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर 8.15 प्रतिशत एवं 9.67 प्रतिशत के मध्य रही।
- राज्य ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान, लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए 9.34 से 12.64 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किया।

- 2014-15 से 2018-19 की अवधि में ऋण प्राप्तियों से ऋण पुनर्भुगतान के प्रतिशत में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई दी। 2014-15 में, लोक ऋण की प्राप्ति का 19.55 प्रतिशत का उपयोग लोक ऋण के पुनर्भुगतान के उद्देश्य के लिए किया गया था जबकि 2018-19 में, 28.27 प्रतिशत का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया गया था।
- 2014-15 से 2018-19 के दौरान, लोक ऋण प्राप्ति के एक बड़े हिस्से (60.90 प्रतिशत एवं 80.92 प्रतिशत के मध्य) का उपयोग पूर्व में उधार ली गई निधि के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए किया जा रहा था। लोक ऋण प्राप्ति के उच्च हिस्से का उपयोग उधार ली गई धनराशि के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए किए जाने के कारण राज्य को उपलब्ध निवल ऋण चालू वर्ष में ₹2,388 करोड़ (2017-18) से घटकर ₹1,388 करोड़ हो गया है। कुल उधार राशि से ब्याज सहित ऋण के पुनर्भुगतान की प्रतिशतता 2017-18 में 68.27 प्रतिशत के सापेक्ष बढ़कर 2018-19 में 80.92 प्रतिशत हो गयी।

2014-15 से 2018-19 के दौरान लिये गये बाजार ऋण और पुनर्भुगतान की संरचना चार्ट-1.28 और 1.29 में दी गई है।



### 1.10.1 बाजार ऋण

#### बाजार ऋण की स्थिति (बा ऋ)

तालिका-1.29, 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति को दर्शाती है।


तालिका-1.29: राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च को अन्तिम अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि(+)/कमी(-)	
					धनराशि	प्रतिशतता
2014-15	10,930.56	2,400.00	308.85	13,021.71	2,091.15	19.13
2015-16	13,021.71	3,900.00	1,170.19	15,751.52	2,729.81	20.96
2016-17	15,751.52	5,450.00	369.23	20,832.28	5,080.76	32.26
2017-18	20,832.28	6,660.00	830.00	26,662.28	5,830.00	27.99
2018-19	26,662.28	6,300.00	1,010.69	31,951.59	5,289.31	19.84
<b>योग</b>		<b>24,710.00</b>	<b>3,688.96</b>			

स्रोत: संगत वर्ष के वित्त लेखे।


उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि उत्तराखण्ड सरकार ने 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 24,710 करोड़ एवं ₹ 3,688.96 करोड़ का ऋण लिया और पुनर्भुगतान किया। पुनर्भुगतान राज्य सरकार के कुल ऋणों (₹ 24,710 करोड़) का 14.93 प्रतिशत था। इन ऋणों पर 2014-15 में 8.15 प्रतिशत से 2018-19 में 8.40 प्रतिशत की भारित औसत ब्याज दर पर पुनर्भुगतान 2014-15 में ₹ 308.85 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 1,010.69 करोड़ हो गया। उपरोक्त तालिका यह भी प्रदर्शित करती है कि बाजार ऋण वर्ष 2014-15 में ₹ 2,400 करोड़ से लगातार बढ़कर 2017-18 में ₹ 6,660 करोड़ हो गये। तथापि, 2018-19 के दौरान यह ₹ 6,300 करोड़ तक घट गये। इस अवधि के दौरान प्राप्तियों में 2014-15 से 2018-19 तक लगभग 2.63 गुणा वृद्धि देखी गई। नीचे दिये गये चार्ट-1.30 में 2014-15 से 2018-19 की अवधि में बाजार उधारियों की प्रवृत्ति को दिखाया गया है।



## 1.11 राजकोषीय असंतुलन

### 1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारम्भिक घाटा राज्य सरकार के वित्त में राजकोष के समस्त असन्तुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य के अन्तर को प्रस्तुत करता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का एक सूचक है। इसके अलावा, किस तरह घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और जुटाए गये संसाधनों को प्रयुक्त किया जाता है, यही इसके राजकोषीय स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड घाटों की प्रवृत्तियाँ, प्रकृति, परिमाण और वित्तपोषण के ढंग को प्रस्तुत करता है। चार्ट-1.31 एवं चार्ट-1.32, 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि में घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।



स्रोत: स र ग उ के आँकड़े केन्द्रीय सांख्यिकी एवं निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदान किए गए हैं।

**राजस्व घाटा:** वर्ष 2014-15 में राज्य को ₹ 917 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ था जो कि वर्ष 2015-16 में खराब स्थिति तक ₹ 1,852 करोड़ हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य राजस्व घाटे को ₹ 383 करोड़ के निम्न स्तर तक लाने में सक्षम हुआ। राज्य इस प्रवृत्ति को बनाए नहीं रख सका और वर्ष 2017-18 में राजस्व घाटा फिर से हासित हो कर ₹ 1,978 करोड़ हो गया। तथापि, चालू वर्ष

के दौरान स्थिति में सुधार हुआ और राज्य को ₹ 980 करोड़ (सराघउ का 0.40 प्रतिशत) का राजस्व घाटा हुआ।

**राजकोषीय घाटा:** वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटा ₹ 5,826 करोड़ (सराघउ का 3.61 प्रतिशत) था जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर ₹ 6,125 करोड़ (सराघउ का 3.46 प्रतिशत) हो गया, परन्तु वर्ष 2016-17 में यह घटकर ₹ 5,467 करोड़ (सराघउ का 2.80 प्रतिशत) हो गया। तथापि, वर्ष 2017-18 में यह फिर बढ़ कर ₹ 7,935 करोड़ (सराघउ का 3.56 प्रतिशत) हो गया। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 7,320 करोड़ (सराघउ का 2.98 प्रतिशत) था, जो कि चौविआ द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3.25 प्रतिशत से कम था। राज्य अपने पूँजीगत व्यय, जो कुल व्यय (2014-15) के 18.8 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत (2018-19) हो गया है, को बढ़ाने के लिए उपलब्ध राजकोषीय स्थिति का उपयोग करते हुए और अधिक उधार लेने पर विचार कर सकता है।

**प्राथमिक घाटा:** वर्ष 2014-15 में प्राथमिक घाटा ₹ 3,420 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 में ₹ 3,154 हो गया और वर्ष 2016-17 में यह घाटा ₹ 1,744 करोड़ रह गया। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 3,948 करोड़ से घटकर चालू वर्ष के दौरान ₹ 2,845 करोड़ हो गया। इससे पता चलता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। इसका प्राथमिक राजस्व आधिक्य 2017-18 में ₹ 2,009 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 3,495 करोड़ हो गया। प्राथमिक राजस्व अधिशेष से ब्याज दायित्वों का भुगतान, पिछले वर्ष के 50 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 78 प्रतिशत करने में सक्षम था।

**प्राथमिक राजस्व शेष:** राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियों और उसके गैर-ब्याज राजस्व व्यय के बीच अंतर को दर्शाता है। यह इंगित करता है कि राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियाँ किस हद तक पूँजी खाते पर व्यय को पूरा करने में सक्षम थीं। 2018-19 में, राज्य ने ₹ 3,495 करोड़ का प्राथमिक राजस्व आधिक्य दर्ज किया। यह पूँजीगत व्यय (₹ 6,184 करोड़) का 56.52 प्रतिशत था।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान के ₹ 46.82 करोड़ को पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत एवं ₹ 355.74 करोड़ के वृहद निर्माण कार्यों को राजस्व शीर्ष में दर्शाया जो कि सरकारी लेखा नियमों के विरुद्ध था। राज्य सरकार ने गारंटी कमीशन के ₹ 3.58 करोड़ को लोक लेखे में हस्तांतरित नहीं किया एवं चालू वर्ष के दौरान ₹ 40.38 करोड़ के आरक्षित एवं जमा राशि पर ब्याज का कोई भी प्रावधान नहीं किया।

उपरोक्त ने राज्य सरकार के राजकोषीय घाटे को प्रभावित किया। सराघउ से राजकोषीय घाटा 0.01 प्रतिशतता बिन्दु तक कम आँका गया जैसा कि नीचे प्रदर्शित किया है।

तालिका-1.30: राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव		कुल प्रभाव लेने से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		कुल प्रभाव लेने के पश्चात अनुपात (प्रतिशत में)	
		अतिशयोक्ति	न्यूनोक्ति	अतिशयोक्ति	न्यूनोक्ति	राजस्व घाटा/ स रा घ उ	राजकोषीय घाटा/ स रा घ उ	राजस्व घाटा/ स रा घ उ	राजकोषीय घाटा/ स रा घ उ
1.	राजस्व एवं पूँजीगत लेखों के मध्य गलत वर्गीकरण (निवल)	355.74 <sup>19</sup>	--	--	--	0.40	2.98	0.29	2.99
2.	सहायता अनुदान को पूँजीगत लेखा में दर्शाना	--	46.82	--	--				
3.	सार्वजनिक खाते में गारंटी कमीशन का स्थानांतरण न होना	--	3.58	--	3.58				
4.	आरक्षित एवं जमा धनराशि पर ब्याज हेतु कोई प्रावधान नहीं	--	40.38	--	40.38				
कुल (निवल) प्रभाव		264.96 (अतिशयोक्ति)		43.96 (न्यूनोक्ति)					

स्रोत: वित्त लेखे।

### 1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त-पोषण पद्धति

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में एक संरचनात्मक बदलाव हुआ जैसा कि तालिका-1.31 में परिलक्षित है।

तालिका-1.31: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>अ</b>	<b>राजकोषीय घाटे के घटक (1 से 3)</b>	<b>(-) 5,826</b>	<b>(-) 6,125</b>	<b>(-) 5,467</b>	<b>(-) 7,935</b>	<b>(-) 7,320</b>
1.	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 917	(-) 1,852	(-) 383	(-) 1,978	(-) 980
2.	निवल पूँजीगत व्यय	(-) 4,804	(-) 4,217	(-) 4,954	(-) 5,914	(-) 6,184
3.	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 105	(-) 56	(-) 130	(-) 43	(-) 156
<b>ब</b>	<b>राजकोषीय घाटे की वित्त-पोषण पद्धति</b>					
1.	<b>निवल लोक ऋण</b>	<b>3,680</b>	<b>4,802</b>	<b>5,373</b>	<b>5,806</b>	<b>5,217</b>
अ.	निवल बाजार ऋण	(+) 2,091	(+) 2,730	(+) 5,081	(+) 5,830	(+) 5,289
ब.	भारत सरकार से निवल ऋण	(+) 33	(+) 66	(+) 111	(+) 74	(+) 61
स.	एन एस एस एफ को जारी विशेष निवल प्रतिभूतियाँ	(+) 1,145	(+) 1,467	(-) 348	(-) 374	(-) 411
द.	वित्तीय संस्थाओं से निवल ऋण	(+) 411	(+) 539	(+) 529	(+) 276	(+) 278
2.	<b>निवल लोक लेखा</b>	<b>1,497</b>	<b>1,209</b>	<b>1,248</b>	<b>2,204</b>	<b>1,843</b>
अ.	निवल लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(+) 420	(+) 478	(+) 413	(+) 619	(+) 890
ब.	निवल जमा एवं अग्रिम	(+) 399	(+) 138	(-) 135	(+) 719	(-) 11
स.	निवल उचन्त एवं विविध	(+) 13	(+) 377	(+) 1,050	(+) 730	(+) 173
द.	निवल प्रेषण	(+) 450	(+) 33	(-) 3	(+) 31	(+) 679
य.	निवल आरक्षित निधि	(+) 215	(+) 183	(-) 77	(+) 105	(+) 112
3.	<b>निवल आकस्मिकता निधि</b>	<b>(-) 12</b>	<b>(-) 195</b>	<b>(+) 167</b>	<b>(-) 127</b>	<b>(+) 110</b>
4.	<b>रोकड़ शेष में कुल वृद्धि</b>	<b>(+) 661</b>	<b>(+) 309</b>	<b>(-) 1,321</b>	<b>(+) 52</b>	<b>(+) 150</b>

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे, 2014-15 से 2018-19।

<sup>19</sup> राज्य सरकार ने ₹ 367.75 करोड़ के वृहद निर्माण कार्यों को विभिन्न राजस्व शीर्षों में बुक किया है। साथ ही, लघु निर्माण तथा अनुरक्षण के क्रमशः ₹ 2.78 करोड़ तथा ₹ 9.23 करोड़ के कार्यों को पूँजीगत व्यय शीर्ष में बुक किया है।

2018-19 में राजकोषीय घाटा काफी सीमा तक बाजार की उधारियों (72 प्रतिशत), लघु बचत एवं भविष्य निधि (12 प्रतिशत), प्रेषण (नौ प्रतिशत) और वित्तीय संस्थाओं से ऋण (चार प्रतिशत) द्वारा प्रबंधित किया गया था।

### 1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटा और निवल पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) का योगदान राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता इंगित करता है। राजकोषीय घाटे के लिए राजस्व घाटे का लगातार उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार निरंतर कम हो रहा है और ऋणों (राजकोषीय दायित्व) के अंश परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं हैं। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका-1.32) उस सीमा को इंगित करेगा जहाँ तक घाटा पूँजीगत लेखे में कमी के कारण रहा है जो राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये वांछनीय हो सकता है।

तालिका-1.32: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-संघटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्तियाँ*	राजस्व प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8=(3-4)	9=(2-7)
2014-15	20,428	20,247	18,758	4,939	151	23,848	(+) 1,670	(-) 3,420
2015-16	21,261	21,234	20,115	4,217	83	24,415	(+) 1,119	(-) 3,154
2016-17	24,924	24,889	21,549	4,954	165	26,668	(+) 3,340	(-) 1,744
2017-18	27,139	27,105	25,096	5,914	77	31,087	(+) 2,009	(-) 3,948
2018-19	31,243	31,216	27,721	6,184	183	34,088	(+) 3,495	(-) 2,845

\* नोक ऋण प्राप्तियाँ से इतर प्राप्तियाँ।

- राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियाँ में मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियाँ और ऋण एवं अग्रिमों की वसूली शामिल है जिसमें 2014-15 से 2018-19 तक 52.94 प्रतिशत वृद्धि हुई और प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।
- 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान प्राथमिक राजस्व आधिक्य में गिरावट आई। पिछले वर्ष की तुलना में यह लगभग तीन गुना बढ़ा और 2016-17 के दौरान ₹ 3,340 करोड़ रहा, लेकिन वर्ष 2017-18 के दौरान यह फिर से घटकर ₹ 1,331 करोड़ हो गया। तथापि, चालू वर्ष के दौरान इसमें फिर से ₹ 1,486 करोड़ की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2014-15 में ₹ 3,420 करोड़ के प्राथमिक घाटे में वर्ष 2015-16 में ₹ 266 करोड़ की आंशिक कमी हुई लेकिन 2016-17 के दौरान ₹ 1,410 करोड़ की कमी दिखाई गई। वर्ष 2017-18 के दौरान इसमें फिर से ₹ 2,204 करोड़ की काफी बढ़ोतरी हुई है। तथापि, 2018-19 के दौरान यह फिर से ₹ 1,103 करोड़ कम हो गया है।

तालिका-1.33: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 917 (16)	(-) 1,852 (30)	(-) 383 (07)	(-) 1,978 (25)	(-) 980 (14)
निवल पूँजीगत व्यय	(-) 4,804 (82)	(-) 4,217 (69)	(-) 4,954 (91)	(-) 5,914 (75)	(-) 6,184 (84)
निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 105 (02)	(-) 56 (01)	(-) 130 (02)	(-) 43 (00)	(-) 156 (02)
राजकोषीय घाटा	(-) 5,826	(-) 6,125	(-) 5,467	(-) 7,935	(-) 7,320

कोष्ठक में दिये आँकड़े राजकोषीय घाटे के सापेक्ष प्रतिशतता दर्शाते हैं।

राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का अंश दर्शाता है कि चालू उपभोग के लिए किस सीमा तक उधार ली गई धनराशि का उपयोग किया गया था। वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में कम राजस्व घाटे के कारण सुधार आया। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का योगदान 2017-18 में 25 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 14 प्रतिशत हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि 2017-18 की तुलना में 2018-19 में चालू व्यय का एक कम हिस्सा उधार की निधि से किया गया। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष निवल पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता 2017-18 में 75 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 84 प्रतिशत हो गयी। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा 7.75 प्रतिशत घटा जो वर्ष 2017-18 में सरा घ उ के 3.56 प्रतिशत की तुलना में 2.98 प्रतिशत था।

### 1.12 राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

उत्तराखण्ड में राज्य वित्त पर एकल प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति द्वारा 2009 से चर्चा नहीं की गई, यद्यपि प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

### 1.13 निष्कर्ष

वर्ष 2014-15 में राज्य का राजस्व घाटा ₹ 917 करोड़ था जो कि वर्ष 2015-16 में ₹ 1,852 करोड़ तक खराब स्थिति में आ गया। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य राजस्व घाटे को ₹ 383 करोड़ तक के निम्न स्तर तक लाने में सक्षम था। राज्य इस प्रवृत्ति को बनाए नहीं रख सका और वर्ष 2017-18 में राजस्व घाटा फिर से घटकर ₹ 1,978 करोड़ हो गया। तथापि, चालू वर्ष में स्थिति में सुधार हुआ है और राज्य का राजस्व घाटा ₹ 980 करोड़ (स रा घ उ का 0.40 प्रतिशत) था।

गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व एवं पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत व्यय के कुछ आँकड़े गलत लेखांकित हो गए थे। आगे, राज्य ने ब्याज के लिए भी कोई बजट प्रावधान नहीं किया था। जिसके फलस्वरूप स रा घ उ से राजकोषीय घाटा 0.01 प्रतिशतता बिन्दु कम आँका गया है।

पूँजीगत व्यय ने पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 270 करोड़ की वृद्धि दर्ज की, जो कि राज्य सरकार द्वारा अपने एम टी एफ पी में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था, लेकिन बजट अनुमान की तुलना में कम था। कुल राजस्व व्यय के अनुपात में प्रतिबद्ध व्यय में पिछले वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष में मामूली गिरावट देखी गई। यह अब भी राजस्व व्यय के 67 प्रतिशत के आसपास बनी हुई थी। इसका तात्पर्य यह है कि विकास गतिविधियों के लिए सरकार के पास कम राशि उपलब्ध है।

राज्य में, शिक्षा के क्षेत्र में, सकल व्यय के अनुपात में व्यय सभी तीन वर्षों के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत यह विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से वर्ष 2014-15 में थोड़ा अधिक था लेकिन 2017-18 एवं 2018-19 में यह काफी कम था।

राज्य सरकार द्वारा संचित हानि वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक निगमों एवं कंपनियों में भी, जिन्होंने अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया था, बजटीय सहायता एवं निवेश किया था। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी समितियों में सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल लगभग नगण्य था। राज्य द्वारा विभिन्न संस्थानों, निगमों/सरकारी कंपनियों और सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज (प्रतिफल) बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सात प्रतिशत के लक्ष्य, जिसे 2009-10 तक प्राप्त किया जाना था, के सापेक्ष केवल 0.06 प्रतिशत था।

राज्य का लोक ऋण पिछले वर्ष की तुलना में 12.72 प्रतिशत बढ़ा। राज्य का लोक ऋण स रा घ उ की तुलना में उच्च दर पर बढ़ा। राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान पिछले दो वर्षों में 2014-15 के दौरान नौ प्रतिशत से बढ़कर लगभग 13 प्रतिशत हो गया। लोक ऋण प्राप्ति के उच्च हिस्से का उपयोग उधार ली गई धनराशि के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए किए जाने के कारण राज्य को उपलब्ध निवल ऋण चालू वर्ष में ₹ 2,388 करोड़ (2017-18) से घटकर ₹ 1,388 करोड़ हो गया है। कुल उधार राशि के ब्याज सहित ऋण के पुनर्भुगतान की प्रतिशतता 2017-18 में 68.27 प्रतिशत के सापेक्ष बढ़कर 2018-19 में 80.92 प्रतिशत हो गयी।

2018-19 में स रा घ उ से कुल राजकोषीय दायित्वों के अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में 0.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 23.60 प्रतिशत पर रहा जो कि चौ वि आ द्वारा निर्धारित 22.56 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर था।

चालू वर्ष के दौरान, ₹ 7,320 करोड़ (स रा घ उ का 2.98 प्रतिशत) का राजकोषीय घाटा चौ वि आ द्वारा स रा घ उ के 3.25 प्रतिशत निर्धारित मानक लक्ष्य के अंतर्गत था। वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में कम राजस्व घाटे के कारण सुधार आया। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का योगदान 2017-18 में 25 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 14 प्रतिशत हो गया। निवल पूँजीगत व्यय का राजकोषीय घाटे से प्रतिशतता 2017-18 में 75 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 84 प्रतिशत हो गया।

### 1.14 संस्तुतियाँ

- राज्य का स्वयं का कर राजस्व बजट अनुमानों और चौ वि आ के अनुमानों से कम हो गया। राज्य स्वयं के कर राजस्व के संग्रह में गिरावट के लिए योगदान करने वाले कारकों की जाँच कर सकता है और संसाधन जुटाने में सुधार के लिए उपाय कर सकता है;
- राज्य सरकार अपने पूँजीगत व्यय को बढ़ा सकती है, विशेषतः सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में, जिससे पूँजी आधार बढ़ेगा जो कि आर्थिक वृद्धि में योगदान करेगा;
- राज्य सरकार पर्याप्त उच्च लागत की उधारियों को ध्यान में रखते हुए लाभ अर्जित करने वाले राज्य सा क्षेत्र में निवेशित पूँजी पर युक्तियुक्त प्रतिफल को सुनिश्चित करने के तरीकों का पता लगा सकती है;
- क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों को सरकार द्वारा अग्रिम के रूप में दिए गए ऋणों की वसूली खराब रही है, राज्य सरकार इन ऋणों और अग्रिमों को अनुदान के रूप में मानने और उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करने पर विचार कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखे सही स्थिति दर्शा रहे हैं;
- राज्य, अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना सुनिश्चित कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आगे कोई लागत वृद्धि न हो;
- राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र पर संसाधनों के आवंटन में वृद्धि कर सकता है ताकि इसे विशेष श्रेणी के राज्यों के औसत के बराबर लाया जा सके; तथा
- राज्य सरकार को जी पी एफ के लिए लागू दर पर ब्याज का प्रावधान करना चाहिए, जो कि लोक खाते में रखे गए विरासत शेष पर भुगतान किया जाएगा।

